UPGK010008362010

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

उपस्थित- उमेश चन्द्र पाण्डेय-II (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP6066

सत्रवाद संख्या- 298/2010

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

प्रति

1. तेज बहादुर यादव पुत्र श्यामा यादव।
2. श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्यामा यादव। **(मृतक दौरान विचारण)**

निवासीगण- मुण्डेरा बाबू, थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर।

.... **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०- 909/2008
अंतर्गत धारा- 306 भा०दं०सं०
थाना- बड़हलगंज, **जनपद-** गोरखपुर।

निर्णय

अभियुक्तगण तेज बहादुर यादव एवं श्रीमती रेशमा देवी के विरूद्ध थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-909/2008, धारा- 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-16, गोरखपुर के न्यायालय में प्रेषित किया गया एवं अपराध का संज्ञान लिये जाने के पश्चात अभिकथित अपराध का अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण धारा- 207 दं०प्र०सं० के प्रावधान के तहत आवश्यक प्रपत्रों की नकलें प्रदान करते हुए दिनांक 01.06.2010 को तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-16, गोरखपुर द्वारा मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया एवं तदुपरांत पत्रावली अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

हस्तगत मामला वादी मुकदमा लालबहादुर यादव पुत्र श्री रामकिशुन यादव, ग्राम- छपिया उमराव, थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर पर आधारित है, जिसके अनुसार वादी की बहन अनीता देवी की शादी तेजबहादुर यादव पुत्र श्यामा यादव ग्राम मुड़ेरा बाबू, थाना- बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर से पाँच साल पूर्व हुई थी। जिसका गवना दो साल पूर्व हुआ था। वादी के बहन की विदाई के बाद से ही उसकी बहन को ससुराल में प्रताड़ना मिलने लगी। कई बार वादी के जाने पर उसकी बहन ने इस बात की शिकायत

की कि उसके ससुराल में सास व ननद कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने क्षेत्र के लोगों के दबाव में शादी भले ही कर लिया परन्तु हमारे मनमाफिक टी०वी०, मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर आदि सामान नहीं दिया। इसलिए जब तक यह सामान तुम्हारे बाप नहीं देंगे तब तक तुमको चैन से जीने नही दिया जायेगा। वादी की बहन ने यह भी बताया कि सास और ननद की बात जब वह अपने पति से बताई तो वह भी कहे कि उसके घरवालों की इच्छा पूरी नहीं हुई है तो वे लोग जो चाहेंगे वही होगा और उनके मर्जी के खिलाफ वह नहीं जाएगा। अपने बाप से कह दो कि वह उपरोक्त सामान दे दें नहीं तो मैं ही तुझे मार डालूँगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं तो बैंकाक का नागरिक हूँ और वहाँ मेरी पहले से शादी हो चुकी है। वादी के बहन के द्वारा इस बात की जानकारी होने पर वादी अपने कुछ सम्पर्क के लोगों के द्वारा परिवार के मालिक निर्मल व उनके भतीजे रामपाल से यह बात कहा कि इस तरह की बातें शादी के पाँच साल बाद करना अच्छा नहीं है और अकारण उसकी बहन को प्रताड़ित न किया जाय। इस पर उन लोगों ने कहा कि ये बच्चे हैं हमारे तरफ से यह बात नहीं उठेगी लेकिन इन लोगों ने वादी की बहन को कहा कि देखते हैं तुम्हारे बाप व भाई कितने दिन तक तुम्हारी मदद के लिए आयेंगे और उन लोगों के दबाव में तुम नहीं बच पाओगी। दिनांक 06.08.08 को 11 बजे दिन में वादी को उसकी बहन के ससुराल के गाँव के लोगों से यह जानकारी हुई कि निर्मल पुत्र बृजलाल, रामपाल पुत्र तुफानी, भानमती पत्नी तुफानी व कैलाशी पत्नी निर्मल ने कहा कि तेजबहादुर आज ही इसको मारकर इसकी लीला को खत्म कर देना जरूरी है। उनके इस ललकार पर तेजबहादुर पुत्र श्यामा व रेशमा पत्नी श्यामा वादी की बहन को पकड़कर लात-घूसों से मारने लगे और आरती पुत्री श्यामा ने मिट्टी का तेल सिर पर उड़ेल कर आग लगा दिया और कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया। वादी की बहन आग की चपेट से पूरी तरह जल गई थी जिसको इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया परन्तु अस्पताल पहुँचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.08.2008 को समय 14.45 बजे थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर पर अभियुक्तगण तेज बहादुर यादव, निर्मल, रामपाल, भानमति, कैलाशी, रेशमा व आरती के विरूद्ध धारा- 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत मु०अ०सं०- 909/2008 पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि थाने की जी0डी0 में की गई। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर मामले में मामले में अभियुक्तगण निर्मल, रामपाल, भानमति, कैलाशी व आरती की मामले में संलिप्तता तथा धारा- 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम का अपराध न पाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण एवं उपरोक्त अपराध का विलोपन किया गया तथा मामले में अभियुक्तगण तेज बहादुर यादव एवं श्रीमती रेशमा देवी के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० का अपराध बखूवी साबित पाये जाने पर उक्त अपराध के अंतर्गत विवेचक द्वारा विवेचना की सभी कार्यवाही को पूर्ण करके अभियुक्तगण तेज बहादुर यादव एवं

श्रीमती रेशमा देवी के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया गया। अपराध का अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी।

दिनांक 31.08.2010 को अभियुक्तगण तेज बहादुर यादव एवं श्रीमती रेशमा देवी के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 08 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये, जो निम्नवत है:-

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू०-1	लाल बहादुर यादव	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०-2	वीर बहादुर यादव	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-3	सुनीता यादव	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-4	चन्द्रशेखर यादव	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-5	रामप्यारे गौतम	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०-6	अजय कुमार त्रिपाठी	पंचायतनामाकर्ता
पी०डब्लू०-7	सदाकत अली	विवेचक
पी०डब्लू०-8	डा० अजय कुमार मल्ल	पोस्टमार्टमकर्ता

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है:-

प्रदर्श	**प्रपत्र**	**प्रमाणितकर्ता**
प्रदर्श क-1	तहरीर	पी०डब्लू०-1
प्रदर्श क-2	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्लू०-5
प्रदर्श क-3	पंचायतनामा	पी०डब्लू०-6
प्रदर्श क-4	फोटोनाश	पी०डब्लू०-6
प्रदर्श क-5	पुलिस प्रपत्र संख्या-13	पी०डब्लू०-6
प्रदर्श क-6	मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू०-6
प्रदर्श क-7	प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू०-6

प्रदर्श क-8	नक्शा नजरी	पी०डब्लू०-7
प्रदर्श क-9	आरोप पत्र	पी०डब्लू०-7
प्रदर्श क-10	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०-8

दौरान विचारण अभियुक्ता श्रीमती रेशमा देवी की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.04.2024 द्वारा अभियुक्ता रेशमा देवी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दं०प्र०सं० की धारा- 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि वादी व उसके परिवार के लोग घटना के बाद रूपये/पैसे की मांग करने लगे तथा उसके द्वारा देने से इंकार कर दिया गया, तो फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिये। अतिरिक्त कथन किया है कि वह, उसके पिता व बड़े पिता निर्मल, शंकर, गामा बैंकाक में रहते है। उसके पिता बैंकाक के नागरिक भी है तथा उसकी बैंकाक में एक दुकान है, जिसे वह तथा उसके चचेरे भाई रजवंत चलाते है। वह घटना से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व बैंकाक में रहकर करीब चार माह पहले अपने घर आया था। वह अपनी पत्नी का पासपोर्ट भी घटना के पहले बनवाया था। उसे भी वह बैंकाक ले जाना चाहता था। उसका संयुक्त परिवार है, परिवार के मुखिया निर्मल मालिक थे। घटना के पहले उसके घर एक टाटा सूमो, एक ट्रैक्टर, एक बुलेट तथा दो मोटरसाईकिल, दो कूलर, फ्रिज, टी०वी० था। जिस मांग के विषय में कहा जाता है वह उसके घर में शादी से पहले ही था। उसका दो मंजिला मकान है। वह तथा उसकी पत्नी उपर कमरे में रहते थे। उन लोगों का खाना भूतल पर किचन में बनता था। घटना के समय मृतका अनीता किचन में खाना बना रही थी। दुर्घटनावश आग लगने के कारण जल गयी, जिसे उसके घरवाले लादकर गाड़ी में अस्पताल, गोरखपुर ले आये। वह दिनांक 05.08.2008 को ग्राम ओझौली थाना बड़हलगंज केशव यादव, जो उसके बड़े पिता निर्मल के संबंधी है, जिनकी तबियत खराब थी उनको देखने उनके घर गया था। वहीं पर उसे सूचना मिली। वह सीधे गोरखपुर अस्पताल पहुंचा। वह निर्दोष है।

अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 02 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये, जो निम्नवत है:-

बचाव साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**
डी०डब्लू०-1	कन्हैया प्रजापति
डी०डब्लू०-2	केशव यादव

मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित कर मामले का विचारण किया गया है। मृतका अभियुक्त की पत्नी थी। अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को दहेज में मोटरसाईकिल, टी०वी, फ्रिज, कूलर आदि सामान की मांग करते हुए मार पीटकर प्रताड़ित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली गयी। समर्थन में मृतका के दो भाई पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 एक बहन पी०डब्लू०-3 तथा एक फुफेरा भाई पी०डब्लू०-4 को परीक्षित कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त चिकित्सक साक्षी द्वारा मृतका की मृत्यु मृत्यु से पूर्व जलने के कारण होना पाया गया है और शवविच्छेदन आख्या साबित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पी०डब्लू०-5 द्वारा साबित की गयी है। पंचायतनामा पी०डब्लू०-6 द्वारा साबित किया गया। साक्षीगण पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 तथा पी०डब्लू०-3 द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल, टी०वी०, फ्रिज, कूलर आदि की मांग करते हुए प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य दिया जाना कहा गया और घायल अवस्था में ले जाये जाते समय मृतका द्वारा पी०डब्लू०-4 को बताया जाने के आधार पर अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जला दिये जाने की साक्ष्य दी गयी, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होना कहते हुए विधिअनुसार अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप में विनिर्दिष्ट अधिकतम दंड से दंडित किये जाने की याचना की गयी है।

ऊपरोक्त तर्कों के विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा द्वारा विधिक सलाह मशविरे से घटना व पोस्टमार्टम आख्या के दूसरे दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराये जाने की बात कही गयी। अभियुक्तगण को वादी पक्ष की तुलना में आर्थिक रूप से मजबूत होना कहते हुए बैंकाक में सपरिवार रहकर घर पर टाटा सूमो, ट्रैक्टर व कई मोटरसाईकिल, दो मंजिला मकान आदि का स्वामी होना बताया गया और अभियुक्त तेजबहादुर को इकलौता वारिस तथा मृतका को इकलौती जिम्मेदार बहू होना कहा गया। मृतका की मृत्यु से अभियुक्त को स्वतः अपूर्णनीय क्षति होना कहते हुए अभियुक्त के माता पिता व अन्य परिवारीजन द्वारा दुर्घटनावश मृतका के खाना बनाते समय जल जाने की दशा में अस्पताल ले जाये जाने के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त को निर्दोष होना कहा गया। वादी मुकदमा द्वारा कपोल कल्पित व रंजिशन अभियुक्त से अवैध धन वसूली की नियत से झूठा मुकदमा लिखाये जाने का तर्क दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर में दहेज की मांग संबंधी तथ्य साबित न होने पर पुलिस विवेचना द्वारा दहेज हत्या का आरोप पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। यहां तक की वादी द्वारा आधारहीन तथ्यों पर अभियुक्त की मां व अन्य घर की महिलाओं, बहनों अभियुक्त के रूप में नामित किये जाने के झूठे आधार को गलत पाते हुए पुलिस द्वारा ही दहेज उत्पीड़न व हत्या के तथ्य को साक्ष्यविहीन पाते हुए सिरे से नकार दिया गया और मात्र आत्महत्या की दुष्प्रेरणा हेतु अभियुक्त व उसकी मृतक मां के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण बदलाव व

परिवर्धन करते हुए मौलिक तथ्यों से बढ़ा चढ़ाकर अभिकथन किये गये, जिनकी पुष्टि न तो चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से होती है और न ही विवेचक द्वारा की गयी विवेचना से ही होती है। शव परीक्षण में मृतका की शरीर पूर्णतया जली हुई पायी गयी और मिट्टी के तेल की गंध न पाये जाने का अभिकथन चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०-8 द्वारा किया गया। शरीर पर जलने के अतिरिक्त किसी अन्य चोट का उल्लेख चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया है। घटना वाले दिन अभियुक्त का अपने रिश्तेदारी में गया होना बचाव साक्षियों द्वारा साबित किया गया और घटना की सूचना पर सीधे अस्पताल पहुंचने का भी साक्ष्य दिया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष की ओर से साबित न किये जाने के अभियुक्त को निर्दोष होना कहते हुए दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित न करने का तर्क प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम युक्ति-युक्त संदेह से परे सबूत की अवधारणा पर विचार किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

Concept of proof beyond reasonable doubt

"**Mr. Ram Gopal** in " **India of Vedic Kalpsutras**" has stated at page No. 201 that even under ancient system of administration of criminal justice the benefit of doubt was always given to the accused. So the Apastamba laid down that **नः चः सन्देहे दण्डम् कुरियात्** (the king should not punish any person in case of doubt). The **Committee on Reforms of Criminal Justice System Volume 1, 2003** while considering the historical background of the principle of 'Proof beyond reasonable doubt absorbed as under :-

> "5.25 The principle "proof beyond reasonable doubt" was evolved in the context of the system of jury trial in the UK. The verdict on the guilt of the accused was the responsibility of the jury. The jury consisted of ordinary citizens in the locality. As they are not trained Judges they may jump to conclusions without due care and concern for the rights of the accused. Therefore standard of "proof beyond reasonable doubt" appears to have been evolved for the guidance of the jury. That principle which was originally meant for the guidance of the jury is being followed by all the courts of the countries which follow common law."

In **Miller vs. Minister of Pensions [1947] All England Law Report 372 (Vol.2)** it was held that

> "That degree is well settled. It need not reach certainty, but it must carry a high degree

> of probability. Proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond the shadow of doubt. The law would fail to protect the community if it admitted fanciful possibilities to deflect the course of justice. If the evidence is so strong against a man as to leave only a remote possibility in his favour which can be dismissed with the sentence "of course it is possible, but not in the last probable" the case is proved beyond reasonable doubt, but nothing short of that will suffice. "

In **Iqbal Moosa Patel vs, State of Gujrat 2011 CRI.L.J. 1142.(SC)** Hon'ble the Appex Couot has made it clear observing that

> " Proof beyond reasonable doubt does not mean that degree of proof must be beyond shadow of doubt.

In **Sujit Biswas vs. State of Assam 2013 (127) AIC 25. = 2013 (82) ACC 467. = 2013 CRI.L.J. 3140 (SC)** it has been held that

> "A reasonable doubt is not imaginary, trival or a mere probable doubt but a fair doubt base on reason and common sense."

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त तेज बहादुर यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा- 306 भा०द०सं० को युक्ति- युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-1 के रूप में **वादी मुकदमा लालबहादुर यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है किः-

घटना घटित हुए आज से लगभग दो साल नौ महीना हुआ। उसकी छोटी बहन का नाम अनीता था। उसकी शादी तेज बहादुर यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्राम मुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर के साथ हुई थी। उसकी बहन अनीता की शादी दिनांक 26.05.2002 को हुई थी। उसकी बहन की शादी के बाद तीन वर्ष बाद गवना हुआ था। अजखुद कहा कि तीसरे में गवना हुआ था। उसकी बहन अनीता गवने में विदा होकर जब अपने ससुराल गयी तभी से उसके ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसकी बहन अनीता की शादी में जो दान दहेज तय हुआ था उसके अनुसार उन लोगों ने अपनी क्षमता से दान दहेज दिया था। दहेज में क्या दिया गया था नहीं बता सकता। जब वह अपनी बहन के ससुराल आता था तो वहां उसकी बहन अनीता उससे यह बताती थी कि उसकी सास व ननद दहेज में टी०वी०, फ्रिज, मोटरसाईकिल, कूलर की मांग करते हैं।

उसकी सास व ननद कहती थी कि जब तक तुम्हारे बाप उपरोक्त सामान नहीं देंगे उसे चैन से जीने नहीं दिया जायेगा। यह बात जब उसकी बहन अनीता ने अपने पति से बतायी तो उसके पति ने कहा कि अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम अपने बाप से कहकर यह सब सामान दिलवा दो नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। उसके पति तेज बहादुर ने कहा कि वह बैंकाक का नागरिक है। उसका पहले से ही वहां शादी हो चुका है। साक्षी की बहन को मारकर वह बैंकाक चला जाएगा। उसका कुछ नहीं बिगडेगा। बहन के द्वारा यह जानकारी होने पर उसकी मृत्यु के 18-20 दिन पहले उसकी शादी के अगुता सुरेन्द्र यादव व बैरिस्टर यादव निवासी ग्राम खोईया पट्टी व जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी लखनौती, सर्वजीत यादव, रामजी यादव तथा वह अपने पिता रामकिशुन यादव व भाई वीर बहादुर यादव के साथ ग्राम मुण्डेरा बहनोई तेजबहादुर के पास गये। घर के मालिक निर्मल व भतीजा रामपाल मिले। उनसे यह सारी बात बताने पर वह लोग कहे कि ये सब बच्चे हैं। उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। निर्मल यादव से उन लोगों ने यह कहा कि जो सामान दहेज में तय था वह दे दिया गया। शादी के पांच साल बाद यह नया बखेडा खडा करना व दहेज में टी०वी०, फ्रिज, कूलर, मोटरसाईकिल मांगने अच्छा नहीं है। निर्मल ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग पंचों की बात मानकर अपने घर वापस चले आये। इस पंचायत के 18-20 दिन बाद दिनांक 06.08.2008 को 11 बजे दिन में उन्हीं के गांव के प्रधान बैरिस्टर यादव उर्फ सुरेन्द्र यादव ने फोन करके यह बताया कि उसकी बहन अनीता को मारने की नियत से उसके पति तेजबहादुर यादव व चचेरे ससुर निर्मल यादव, चचेरी सास कैलाशी व भानमति, उसके भसुर रामपाल, सास रेशमा, ननद आरती ने लात घूंसों से मारा और रेशमा व आरती ने मिलकर उसकी बहन अनीता से सिर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस सूचना के मिलने पर जब वह अपनी बहन के घर की ओर चला तो रास्ते में उसकी बुआ का लड़का चन्द्रशेखर यादव के पास तरैना पुल के पास सूमो गाडी से उसकी बहन अनीता को रामपाल, भानमती व कैलाशी व रेशमा लेकर गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। तरैना पुल पर उसकी बुआ के लड़के चन्द्रशेखर ने गाड़ी को रोका तो देखा कि उसमें से महिला की कराहने की आबाज आ रही है। तब उसकी बहन अनीता से चन्द्रशेखर ने पूछा कि यह सब क्या हो गया। तब वह बताने लगी कि उसकी सास रेशमा, ननद आरती, पति तेजबहादुर चचेरा ससुर निर्मल, चचेरी सास कैलाशी व भानमती ने मारपीटकर कमरे में बंद कर जला दिया है। उसकी बहन अनीता ने बताया कि भईया उसके जलाने का कारण दहेज में टी०वी०, फ्रिज, कूलर, मोटरसाईकिल यह सारी बात चन्द्रशेखर यादव उसके बुआ के लड़के ने उससे फोन पर बताया। इस बात की सूचना मिलने पर वह गोरखपुर सदर अस्पताल आया। जब तक वह गोरखपुर आता उसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लाश अस्पताल के मोर्चुरी हाउस में रख दिया गया था। लाश के पोस्टमार्टम के बाद उसका दाह संस्कार मुक्तिपथ बड़हलगंज में ले जाकर किया। पोस्टमार्टम घर से उपरोक्त सभी लोग उसकी बहन की लाश को छोड़कर भाग गये। उसकी बहन के दाह संस्कार के बाद इस घटना की प्राथमिकी थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर में बोलकर टाईप करवाकर पढ़ने के बाद उस पर

हस्ताक्षर बनाकर वह प्रार्थना पत्र थाने में दिया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पत्रावली में संलग्न का०सं०-25ख/12 मूल तहरीर गवाह को दिखाया गया, जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाकर दरोगा जी को दिया था। इस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। उसकी बहन की हत्या उसके पति तेजबहादुर यादव, निर्मल यादव, रामपाल यादव, भानमती, कैलाशी, रेशमा व आरती ने मिलकर दहेज के लिए किया है। पीड़िता उसकी बहन थी। इसी घटना के बावत दरोगा जी ने उसका बयान लिय़ा था। उसकी बहन का मृत्योपरांत पोस्टमार्टम हुआ था। उसने दरोगा जी को बताया था कि उसकी बहन कैसे मरी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि:-

तेज बहादुर मुल्जिम हाजिर अदालत है। रेशमा देवी मुल्जिम तेज बहादुर मुल्जिम की मां है। तेज बहादुर मुल्जिम के पिता का नाम श्यामा यादव है। श्यामा यादव तीन भाई हैं। तुफानी, निर्मल, श्यामा है। एक भाई और है जो बाहर बैंकाक रहते हैं, उनका नाम रामा है। उसे नहीं मालूम है कि श्यामा के एक अन्य भाई शंकर भी है। श्यामा यादव बैंकाक में रहते हैं। उसे नहीं मालूम है कि श्यामा यादव बैंकाक के नागरिक है अथवा नहीं। श्यामा यादव लगभग 35 वर्षों से बैंकाक में रहते है। तेज बहादुर मुल्जिम श्यामा यादव के अकेले लड़के है। तेजबहादुर भी बैंकाक आते जाते है। उसकी बहन की शादी जब हुई उसके बाद बैंकाक आना जाना लगा रहता था। इनके पास पुराना एस्कार्ट ट्रैक्टर 335 है। उसके बाद उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। श्यामा की पत्नी का नाम रेशमा, जो मुल्जिम है। रेशमा के पुत्र तेज बहादुर व उनकी लड़की आरती है। इसी तेज बहादुर की पत्नी अनीता इस मुकदमे की मृतका है। आरती की शादी हो चुकी है। राजपाल की हत्या हो चुकी है। राजपाल मुल्जिम तेज बहादुर का चचेरा भाई था। निर्मल राजपाल के चाचा है। निर्मल ने राजपाल की हत्या की रिपोर्ट किया है। उस राजपाल की हत्या में सुरेन्द्र उर्फ बैरिस्टर, प्रमोद व उसका भाई वीर बहादुर, वह व विजय बहादुर मुल्जिम है या नहीं उसे नहीं पता। राजपाल के कत्ल में वह जमानत नहीं कराया है। वह जानता है कि राजपाल की हत्या का मुकदमा इस समय सत्र न्यायालय में चल रहा है। जिला न्यायालय देवरिया में उसके ऊपर धारा 302 भा०द०सं० का मुकदमा नहीं चल रहा है। उसका भाई वीर बहादुर जिला देवरिया में कारागार में बंद रहा है पर धारा 302 में बंद नहीं रहा है। किस धारा में बंद रहा है वह नहीं बता सकता।

चन्द्रशेखर उसकी बुआ का लड़का भाई है। चन्द्रशेखर की माँ उसके पिता रामकिशुन की सगी बहन है। रामकिशुन के दो पुत्र वह व वीर बहादुर है। उसकी बहन अनीता पढ़ी लिखी नहीं थी दस्तखत बनाना भी नहीं जानती थी। उसकी बहन अनीता ने शादी के बाद कभी भी उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को चिट्ठी नहीं भेजी थी। विदाई के बाद लड़की ससुराल से मायके आती जाती थी। शादी के 6 माह बाद ससुराल से मायके आयी थी। उसने विदाई करायी थी। तीन-साढ़े तीन माह रहकर उसकी बहन अनीता अपने ससुराल चली गयी किस माह गयी उसे याद नहीं है। उसकी बहन अनीता के कोई बच्चा नहीं था। उसकी

बहन अनीता का कोई पासपोर्ट नहीं बना था। तेज बहादुर का पासपोर्ट बना था व वो बैंकाक आते जाते थे। शादी के समय तेजबहादुर के घर ट्रैक्टर, टी०वी०, फ्रीज, मोटरसाइकिल नहीं था। इस घटना की सूचना उसे अभियुक्त के गांव के सुरेन्द्र उर्फ बैरिस्टर ने मोबाइल से दिया था। उसके मोबाइल पर सूचना दिया था। उसका उक्त मोबाइल नं० 9793815671 है। विवेचक को उसने अपने बयान में बताया था कि घटना की सूचना उसे सुरेन्द्र ने फोन करके दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखायी थी कि बहन के जलने की सूचना सुरेन्द्र उर्फ बैरिस्टर ने दिया था। गवाह ने तहरीर देखकर बताया कि उसमें यह बात अंकित नहीं है बल्कि गांव के लोगों से सूचना मिलने की बात अंकित है।

उसे कई लोगों ने सूचना दिया था परन्तु पहले जिन्होंने सूचना दिया था उसमें भीम यादव ने भी सूचना दिया था। विवेचक को उसने अपना व सुरेन्द्र का काल डिटेल दिया था। अगर वह पत्रावली में नहीं है तो वह उसी वजह नहीं बता सकता। सूचना उसे 11 बजे दिन में मिली थी। वह इस सूचना पर बहन अनीता के ससुराल जा रहा था। इसी बीच दिनांक 06.08.2008 को ही उसकी बुआ के लड़के चन्द्रशेखर का फोन आ गया। चन्द्रशेखर का फोन दिनांक 06.08.2008 को 12 बजे दिन में आया था। चन्द्रशेखर ने बताया कि वो लोग गोरखपुर जा रहे है अनीता को लेकर। वह भी गोरखपुर के लिए चल दिया। उन लोगों की तरैना पुल पर चन्द्रशेखर से मुलाकात हुई। चन्द्रशेखर ने घटना की सारी बात बतायी। उस समय चन्द्रशेखर ने उसे मोबाइल पर सारी बात बतायी। रिपोर्ट उसने बोलकर टाईप कराया था।

यह बात कि लड़की की तरैना पुल पर चन्द्रशेखर से मुलाकात हुई व लड़की ने उससे सारी बात बतायी थी। उसने यह बात अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखवायी थी। उस दिन 4 बजे शाम को 06.08.2008 को उसकी चन्द्रशेखर से आमने सामने बात हुई थी व मुलाकात हुई। उस समय भी चन्द्रशेखर ने सारी बात बतायी थी। वे लोग गोरखपुर सदर अस्पताल में आये। उस समय उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी थी। वह 2.30 – 3.00 बजे लगभग उस दिन अस्पताल पहुंचा था। गोरखपुर सदर अस्पताल में उसकी तेजबहादुर से बात नहीं हुई थी क्योंकि वह वहां नहीं था। उस समय अस्पताल में रामपाल, कैलाशी, भानमति, व रेशमा मौजूद थी। उससे उन लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। उस दिन घटना की कोई सूचना किसी थाने पर नहीं दिया। सदर अस्पताल से एक किमी के अंदर ही कैण्ट व कोतवाली थाना है परन्तु उसने वहां सूचना नहीं दिया। सदर अस्पताल में लाश रखी हुई थी। सदर अस्पताल में पुलिस कब आयी वह नहीं बता सकता। उसकी बहन की लाश का पंचायतनामा उसके सदर अस्पताल पहुंचने के पहले हो चुका था। पंचायतनामा कितने बजे हुआ उसे नहीं पता है। पंचानामा में कौन कौन गवाह थे वह नहीं बता सकता। यह शादी उसके पिता ने तय किया था। शादी के समय तेजबहादुर पढ़ते थे तथा उसके बाद बैंकाक चले गये। वह इनके घर गया है। दो मंजिला मकान ट्रैक्टर है। मोटरसाइकिल उनके घर पर नहीं है। वह नहीं जानता कि इनके घर में पांच मोटरसाइकिल व दो ट्रैक्टर हैं। घर के अंदर उसने फ्रीज नहीं देखा है। उसने उनके घर कूलर भी नहीं देखा है।

उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट टाइप बड़हलगंज में कालेज रोड पर करवाया था। उसके गांव छपिया से मुण्डेरा बाबू करीब चार किमी की दूरी पर है। चन्द्रशेखर उसकी बुआ के लड़के हैं। उनका गांव उसके गांव से लगभग 17 किमी की दूरी पर है। 17 किमी उसके गांव से उत्तर पश्चिम की दिशा में हैं। अनीता की ससुराल उसके गांव से उत्तर दिशा में है। चन्द्रशेखर से प्रलाप घटना के दिन फोन पर हुई थी। उसके बाद उसी दिन शाम को मुलाकात हुई थी। फोन से बात 11.00-11.30 बजे दिन को हुई थी। वह मोटरसाइकिल से अनीता के घर जा रहा था। चन्द्रशेखर ने बताया कि रामपाल तेजबहादुर, कैलाशी, भानमती, उसकी बहन जो जली हुई थी को लेकर गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। उसकी बुआ के लड़के चन्द्रशेखर ने गाड़ी रुकवाया, उसमें से कराहने की आवाज आ रही थी। चन्द्रशेखर ने उसकी बहन अनीता से पूछा तो बहन बतायी कि भईया हमारे सास-ससुर, ननद व पति तेज बहादुर ने लात घूसों से मारकर मिट्टी का तेल सिर पर उड़ेलकर आग लगा दिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने यह बात एफआईआर में लिखवाया था। टाइपशुदा दरखास्त में यह बात लिखवाया था। गवाह ने एफआईआर पढ़कर कहा कि उपरोक्त बात की उसके बुआ के लड़के चन्द्रशेखर से उसकी बहन अनीता की मुलाकात हुई थी तथा उसने जलाये जाने की बात चन्द्रशेखर से कही थी। यह बात उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में टाइप नहीं करवाया है। यह कहना गलत है कि बुआ के लड़के चन्द्रशेखर से कही गयी मुलाकात वाली बात वह पहली बार न्यायालय में सिखाने के आधार पर न्यायालय में बयान दे रहा है।

उसकी बहन अनीता की शादी वर्ष 2002 में हुई थी। शादी दिनांक 26.05.2002 को हुई थी न कि 29.05.2001 को हुई थी। उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी। शादी उसके पिता ने तय किया। उस समय वह पढ़ता नहीं था। सन् 2000 में वह बैंकाक गया था और 2001 में ही बैंकाक से वापस आ गया था। शादी के समय अभियुक्त बैंकाक में नहीं रहता था। उसे नहीं पता अभियुक्त कब बैंकाक गया था किंतु यह जानता है अभियुक्त बैंकाक गया है। अभियुक्त के पिता शादी तय करने नहीं आये थे। किंतु शादी में आये थे। उसकी बहन विदा होने के बाद अपनी ससुराल में ऊपरी मंजिल पर रहती थी। अभियुक्त तेज बहादुर के पिता कुल पांच भाई हैं। शादी के समय उनके मध्य बंटवारा नहीं हुआ था। अब बंट गया हो तो नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि इन लोगों का शादी के वक्त ही बंटवारा हो गया था और खाना-पीना अलग हो गया था। शादी के पांच वर्ष बाद फ्रीज, कूलर, टीवी व मोटरसाइकिल की मांग की गयी थी। शादी के पांच वर्ष बाद उसकी बहन ने बताया था कि उक्त सामानों को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब वह अपनी बहन के घर गया था तब उसने पहली बार उपरोक्त मांगों के बारे में बताया था। उसकी बहन जहां ससुराल में खाना बनाती थी वह किचन भूतल पर नीचे था।

घटना के बीस दिन पहले उसकी बहन व तेज बहादुर से अंतिम बार मुलाकात उनके घर पर हुई थी। वह पंचायत करने आया था। पंचायत वाली बात एफआईआर में नहीं लिखाया था उसने पंचायत वाली बात विवेचनाधिकारी को बताया था। यदि उसके बयान में न लिखा हो तो उसका कारण नहीं बता सकता।

उसने अपनी बहन के प्रताड़ना के संबंध में कभी कोई रिपोर्ट या दरखास्त किसी पुलिस या उच्चाधिकारी को नहीं दिया था। तेज बहादुर का गौना जब से हुआ था उसके बाद वह बैंकाक नहीं गया था। शादी के दो साल बाद तीसरे वर्ष गौना हुआ था। उसे नहीं मालूम की अभियुक्त ने उसकी बहन(मृतका) के लिए घटना के दस दिन पूर्व पासपोर्ट अप्लाई किया था कि नहीं। घटना के संबंध में तेज बहादुर के गांव के प्रधान द्वारा उन लोगों को जानकारी मिली थी। दिन में 11.00 बजे मिली थी। ऐसा नहीं है कि घटना की सूचना तेज बहादुर के घरवालों ने उन लोगों को बताया था, बल्कि उसके गांव के प्रधान द्वारा मिला था। प्रधान तेज बहादुर के घर के नहीं थे। उसके घर से अभियुक्त का घर उत्तर तरफ करीब चार किमी की दूरी पर होगा। वह अकेले घर से अभियुक्त के घर के लिए निकला था। उसकी बुआ के लड़के चन्द्रशेखर ने उसे फोन किया था। चन्द्रशेखर का मोबाइल नंबर उसे याद नहीं है। उसकी बहन व तेजबहादुर या उसके घर का मोबाइन नंबर उसे याद नहीं है। चन्द्रशेखर ने बताया कि उसकी बहन अनीता की लाश गोरखपुर लेकर जा रहे है। सरया महुलिया उसके गांव से 17 किमी दूर है उत्तर पश्चिम की तरफ। चन्द्रशेखर ने उसे बताया कि वह नेवारा तरैना पुल पर है। चन्द्रशेखर बड़हलगंज जा रहे थे। चन्द्रशेखर का फोन 11.10 बजे आया था। यह कहना गलत है कि किसी अभियुक्त ने उन लोगों से कोई टी०वी०, फ्रिज, मोटरसाइकिल की मांग नहीं की थी और न ही उस मांग के लिए कभी कोई प्रताड़ना किया था। यह भी कहना गलत है कि अनीता खाना बनाते समय किचन में जल गयी थी। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तों से नाजायज पैसों की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-2 के रूप में **वीर बहादुर यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि-

वे दो भाई हैं। वह वीर बहादुर व दूसरे का नाम लालबहादुर है। उसकी चार बहनें थी। जिनका नाम क्रमश: तारा देवी, बिन्दू देवी, मृतका अनीता देवी व चौथी का सुनीता देवी है। बहन अनीता की शादी दिनांक 25.05.2003 को तेज बहादुर पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्रमा मुड़ेरा बावू थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के साथ हुई थी। शादी में विदाई नहीं हुई थी। शादी के तीसरे वर्ष गौना हुआ था। गौने में विदाई हुई थी। उसकी बहन अनीता गौने के बाद जब ससुराल गई थी तो वहाँ विदा होकर उसके घर कब आयी थी, उसे याद नहीं है। उसकी बहन अनीता के ससुराल वाले दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करते थे। रामपाल यादव पुत्र तूफानी, तेजबहादुर पुत्र श्यामा, निर्मल पुत्र बृजलाल, आरती पुत्री श्यामा व अन्य लोग जो प्रताड़ित करते थे, किंतु उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। सास रेशमा पत्नी श्यामा भी प्रताड़ित करती थी। उपरोक्त लोग दहेज में रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रीज, कूलर इत्यादि सामानों की मांग करते थे और मारते पीटते भी थे। प्रताड़ना व मारपीट की बात उसकी बहन ने उन लोगों को बताया। उसके बाद वे लोग तेजबहादुर यादव के घर जाकर समझाने बुझाने और पंचायत किये। पंचायत में निर्मल ने कहा कि ये बच्चे हैं, गलती कर दिये हैं, दुबारा इस तरह की बात नहीं होगी। पंचायत के कुछ दिनों बाद उसकी बहन उसके घर से

विदा होकर अपने ससुराल गई। ससुराल वालों ने पुन: उसकी बहन को दहेज हेतु प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 06.08.2008 को समय 11:00 बजे दिन में उसकी बहन अनीता देवी को तेजबहादुर पुत्र श्यामा यादव, रेशमा (सास) ने मिलकर निर्मल व रामपाल व अन्य परिवार के लोगों के ललकारने पर हाथ पैर बांधकर लात, घूसों व डण्डों से पिटाई करने लगे। उसकी बहन की ननद आरती देवी पुत्री श्यामा ने उसकी बहन के शरीर पर मिट्टी का तेल डाल दिया तथा तीनों लोगों ने मिलकर आग लगा दी। जिसकी सूचना उन लोगों को मिली तो वे लोग अपने निजी साधन द्वारा घर से निकले। रास्ते में उसकी बहन से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो बहन ने बताया कि भईया उसके पति, उसकी सास व ननद मिलकर मारपीट कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिये तथा दरवाजा बन्द कर दिये। बहन को लेकर वे लोग District Hospital, Gorakhpur आ रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम के बाद वे लोग उसका दाह संस्कार किये। उसके ससुराल वाले District Hospital, Gorakhpur से उसे (लाश) छोड़कर वहां से भाग गये थे। विवेचक को उन्होंने शादी का कार्ड व लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको केस डायरी में उऩ्होंने दर्शाया नहीं है। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस मुकदमें के विवेचक सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

वह पोस्ट ग्रेजुएट है। वह नेशनल पी.जी कालेज, बड़हलगंज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वह वर्ष 2005 में एम.ए. पास किया है। वह दो भाई हैं। बड़ा वह है, छोटे भाई का नाम लाल बहादुर है। उसका छोटा भाई घर पर रहकर ही खेती बाड़ी करता है और वह भी खेती बाड़ी करता है। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिताजी की मृत्यु डेढ-दो वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसके पिताजी नौकरी करते थे। उसके गांव से उसकी बहना का ससुराल 7 किमी उत्तर दिशा में है। वहाँ पहुँचने में लगभग आधा घंटा का समय लगता है। उसके पास वर्तमान में एक मंजिला पक्का मकान है। जो सात कमरे का है। उसके परिवार में कुल 7 लोग हैं। उसकी बहन का ससुराल में पक्का मकान है। जो दो मंजिला है उसमें कितने कमरे हैं वह नहीं बता सकता है। शादी की बातचीत करने उसके पिताजी जाते थे। वह भी जाता था। उसके किसी रिश्तेदार ने इस शादी के बारे में बताया था। शादी की बातचीत करने वह कब गया था निश्चित तारीख इस समय नहीं बता सकते। उसकी तरफ से पुरोहित श्री प्रकाश मिश्रा थे। शादी की व्यवस्था में टेंट वगैरह उसके पिताजी तय किये थे। टेंट वगैरह में कितना खर्चा हुआ था वह नहीं जानता। उसके पिताजी जानते हैं। दिनांक 26.05.2003 को शादी हुई थी। यह तिथि उसके पंडित जी ने निकाला था। लड़केवालों के घर पर दिन (शादी का दिन) निश्चित हुआ था। उसने अपनी बहन के ससुराल में शादी के समय कोई कार्ड नहीं दिया था और न ही उनके वहां से कोई शादी का कार्ड उसके यहां आया था। शादी का कार्ड उसके पास नहीं है। जो कार्ड उसके पास था वह उसने विवेचक को दिया था। घटना के 10-12 दिन बाद विवेचक को वह अपने पास रखा कार्ड दिया था। गवाह ने स्वयं कहा कि विवेचक ने शादी का

कार्ड फाइल में संलग्न नहीं किया है। उसने केस डायरी में अपना बयान पढ़ा है। उसने विवेचक से केस डायरी मांगकर अपना बयान पढ़ा तब मालूम हुआ कि शादी का कार्ड विवेचना में संलग्न नहीं है। शादी के कार्ड के अलावा और जितनी भी बाते उसने विवेचक को बताई थी वह सही लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी बहन की शादी दिनांक 29.05.2001 को हुई थी और वह आज गलत बयान दे रहा है। उसे नहीं मालूम है कि विवेचक ने शादी की क्या तिथि उसके बयान में लिखा है। उसने विवेचक को शादी का कार्ड सम्भवत: 2002 या 2003 नहीं बताया है। वह दो ती बार जेल गया है। उसके ऊपर गैंगस्टर को लेकर कुल 3 मुकदमें हैं। वह जेल जा चुका है। शिक्षा समाप्त होने के बाद वह गोरखपुर में ही रहा, कहीं विदेश आदि नहीं गया। तेज बहादुर शादी के पूर्व कभी बैंकाक गया था या नहीं उसे नहीं पता है। शादी के बाद तेजबहादुर बैंकाक गया था। तेज बहादुर के पिता, उसके चाचा तथा अन्य परिवार के लोग शादी के बहुत पहले से बैंकाक में रहते थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि तेजबहादुर के पास बैंकाक में अपना निजी मकान है। तेजबहादुर बैंकाक में जाकर क्या काम करता था वह नहीं जानता है। उसके पास 15-16 बीघा खेती है और उसी खेती से पूरे परिवार का खर्च चलता है। शादी के समय यह जानकारी हुई कि तेजबहादुर की शिक्षा हाईस्कूल थी। चूंकि तेजबहादुर के परिवार में कई लोग बैंकाक में थे और काफी पैसे वाले थे और सम्पन्न थे, इसलिये वे लोग तेजबहादुर के हाईस्कूल तक शिक्षा होने के बाबजूद अपनी बहन की शादी किये थे। चूंकि इसके परिवार में कोई कमी नहीं थी, इसलिये वे लोग शादी किये थे। तेजबहादुर उन लोगों से टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रीज, कूलर की मांग करता था। उपरोक्त मांगे शादी के समय नहीं की गयी थी। शादी के बाद लड़की के गौने तक उपरोक्त कोई मांग नहीं की गयी थी। शादी के समय दहेज की मांग को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। शादी राजी-खुशी से हुई थी और गौने में लड़की की विदाई भई सकुशल सम्पन्न हुई और उस समय तक भी कोई मांग नहीं की गयी। उसके बहन के विदाई के लगभग 15-20 दिन बाद उपरोक्त दहेज की मांग की गयी थी। उसकी बहन की मृत्यु के पूर्व जिन सामानों की मांग हो रही थी, उनमें से किसी भी सामान की उन लोगों ने दिया नहीं था और न ही किसी सामान का कीमत जानने का ही प्रयास किया, क्योंकि उपरोक्त सामान उन लोगों को देना नहीं था। उसकी बहन की शादी 26.05.2003 को हुयी थी। उसने अपने बयान में अपनी बहन की शादी 25.05.2003 व 26.05.2003 बतायी थी जिसमें 26.05.2003 सही है व 25.05.2003 गलती से बता दिया था। यह कहना गलत है कि उसकी बहन की शादी 29.05.2001 को अभि० तेजबहादुर के साथ हुयी थी। उसका बयान क्षेत्राधिकारी ने लिया था। उसने विवेचक को अपनी बहन की शादी की तारिख 26.05.2003 ही बतायी थी यदि उन्होंने न लिखा हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसने विवेचक को अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में यह नहीं बताया था कि उसकी बहन की शादी 2002 या 2003 में हुयी थी। उसकी बहन शादी के बाद ससुराल से मायके और मायके से ससुराल साल में एक बार आयी गयी। उसकी बहन से घटना के एक माह पूर्व उसकी मुलाकात हुयी थी, वह उसके ससुराल गया था। उसकी बहन घटना के दस दिन पूर्व मायके से ससुराल गयी थी, उसके भाई साहब उसे ससुराल पहुंचाये थे, घटना से पूर्व

एक माह पहले मायके आयी थी। उसने विवेचक को दस दिन, घटना से पहले ससुराल जाने वाली बात बतायी थी यदि उन्होंने ना लिखा हो तो वह नहीं बता सकता। उसकी बहन से उसके ससुराल वाले सात लोगों ने दहेज की मांग कर रहे थे। आरती को उसने देखा है घटना के समय उसकी शादी नहीं हुयी थी, बाद में शादी हो गयी। रेशमा उसकी बहन की सास थी उनको भी उसने देखा था। तेजबहादुर के चाचा व उनके लड़के वगैरह भी दहेज मांगते थे। उससे किसी अभियुक्त ने कभी दहेज नहीं मांगा था। उसे यह नहीं मालूम है कि उसकी बहन अनीता मृतिका का पास्पोर्ट बना था, वह बैंकाक जाने के लिए बनवाया गया था। उसे यह भी नहीं मालूम है कि मृतका अनिता का पास्पोर्ट उसकी मृत्यु के पांच दिन बाद डाक से उसके ससुराल आया था। उसने कभी मोटरसाईकिल, फ्रीज, टी०वी व कुलर का दाम पता नहीं किया था ना ही इनमें से कोई सामान अपनी बहन अनिता को दिया था। उसने विवेचक को यह बताया था कि उसकी बहन से सबसे पहले इन चीजों की मांग कब हुयी। उसने विवेचक को यह बताया था कि गौना के दस दिन बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और सामान की मांग करने लगे यदि उसके बयान में उन्होंने यह ना लिखा हो तो इसकी वजह वह नहीं बता सकता। शादी से गौना तीन साल बाद हुआ था इस दौरान अभियुक्तगण व उसके परिवार वालों ने किसी दहेज की मांग नहीं की थी। उसकी बहन का गौना सन् 2006 में हुआ था दिन व तारीख नहीं याद है, 2006 से घटना तक उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था किन्तु इस बावत उसने और उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने कहीं शिकायत नहीं की थी। चन्द्रशेखर उसके बुआ के लड़के हैं, उनका घर उसके घर से पश्चिम-उत्तर दिशा में 16-17 किमी दूर है। वह अपने गांव से सीधे पश्चिम जाएगा तब चन्द्रशेखर का गांव पड़ेगा, उनके गांव से उत्तर दिशा में गोरखपुर शहर पड़ेगा। तरैना पुल चन्द्रशेखर यादव के गांव से पूर्व तरफ मौजूद है, मुण्डेरा बाबु जो अभियुक्तगण का गांव है वह उसके गांव से उत्तर तरफ स्थित है, वह उसके गांव से 6-7 किमी की दूरी पर है, उसके गांव से चन्द्रशेखर और मुल्जिमान का गांव विपरीत दिशा में है, ऐसा नहीं है कि यह दूरी 10-12 किमी है। उसकी मुलाकात घटना की तिथि को चन्द्रशेखर से करीब 11:30 बजे दिन में हुयी थी, वह मुलाकात तैरना पुल पर हुयी थी वह चार पहिया गाड़ी से थे, उसकी उनसे पहले कोई बातचीत नहीं हुयी थी, उसकी मुलाकात उसकी मृतका बहन अनिता से पीड़हनी से आगे कोहड़ाभावर ग्राम के सिवान के पास हुयी थी, उस समय करीब 11:15 बजा था। उस समय उसके साथ उसके गांव सर्वजीत यादव व संजय यादव थे, उसकी बहन उस समय एक चारपहिया गाड़ी से जा रही थी, वह गाड़ी तेजबहादुर की टाटा सोमो गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुल तीन लोग थे। वह उसी गाड़ी के साथ गोरखपुर शहर में आया, जब उसकी मुलाकात अपनी बहन से हुयी उसके 15 मिनट बाद उसकी मुलाकात चन्द्रशेखर यादव से हुयी थी। जब वह घर पर था तो मुल्जिमान के गांव के लोगों द्वारा घटना की सूचना मिली तब वह घर से चला, उसे यह सूचना मिली कि लोग उसकी बहन को जला कर, बड़हलगंज की तरफ ले कर जा रहे हैं, बड़हलगंज उसके घर से पश्चिम की तरफ है। यह कहना गलत कि जिस रास्ते मुल्जिमान उसकी बहन को लेकर जा रहे थे उस रास्ते में बड़हलगंज नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मुल्जिमान उसकी बहन को लेकर

बड़हलगंज अस्पताल गए, वह भी साथ में गया था वहां डाक्टर उसकी बहन को मोआईना करने के बाद सदर अस्पताल गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया. वह भी गोरखपुर गया था कब गया था समय याद नहीं है। उसकी बहन के शव का पंचनामा हुआ था, यह पंचनामा 06.08.2008 हुआ था, यह पंचनामा शव गृह में हुआ था, उसके भाई लालबहादुर से उसकी मुलाकात कब और कहां हुयी थी उसे याद नहीं है, जब वह घर से चला उस समय उसकी मुलाकात उसके भाई लालबहादुर से नहीं हुयी थी. उसकी बहन के शव का पंचनामा होने के दूसरे दिन घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।अनिता के ससुराल वाला मकान दो मंजिला है, वह दुसरी मंजिल पर रहती थी, इस घटना के बाद वह कभी उसके ससुराल वाले घर पर नहीं गया। उसकी बहन के साथ जलने वाली घटना मकान में कहा हुयी, वह नहीं जानता। उसने अपने मुख्य बयान में यह बताया था कि उसकी बहन को 06.08.2008 को लाठी-डण्डा, लात-मुक्के से मारा गया उसे रस्सी से बांध दिया गया" यह बयान उसने सी.ओ. साहब को दिया था, यदि उसके बयान में उपरोक्त बात ना लिखा हो तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसकी अंतिम मुलाकात उसकी बहन से घटना के 10 दिन पहले उसके घर पर हुयी थी। यह बात उसने विवेचक को बताया था या नहीं, यह उसे याद नहीं है। उसकी बहन से उसकी मुलाकात कोहड़ाभावर में हुयी थी। उसने गाडी रोका, गाड़ी को रामपाल चला रहा था, उसके शरीर पर चद्दर पड़ा था, वह उस समय बेहोश नहीं थी। गाड़ी उसने रुकवाया तो गाड़ी रुक गयी। वह गाड़ी के अन्दर गया, वह अपनी बहन को देखने गया था, उसने उसके पूछने पर कि यह कैसे हुआ, तो वह तीन लोगों के द्वारा जलाने की बात बतायी थी। उसका बयान जब सी.ओ. साहब ने लिया था तब उसने उनसे तीन लोगों द्वारा जलाने की बात बतायी थी। ऐसा नहीं है कि उसकी बहन ने किसी का नाम न बताया हो केवल उसने बयान में यह लिखा है कि उसकी बहन ने यह बताया कि ससुराल वालों ने मुझे जला दिया है यह भी बताया कि मुझे लाठी-डण्डा व घुसे से भी मारा गया है। उसकी बहन ने यह बताया था कि उसे मिट्ठी का तेल डालकर जलाने के बाद, फाटक बंद कर के भाग गए। ऐसा नहीं है कि अनिता ने किसी अभियुक्त का नाम अपने बयान 161 दं०प्र०सं० में न बताया हो और उसने अपनी तरफ से सभी अभियुक्तों का विवेचना अधिकारी को बताया। सी.ओ.साहब ने यदि मेरे बयान में यह लिखा हो कि "उसे पूरा विश्वास उसकी बहन अनिता को -------- आग लगाकर मार डाले" यही उसका बयान है उसने ऐसा कोई बयान विवेचक को नहीं दिया था वह कैसे लिख लिये वह नहीं बता सकता। वह एक हत्या के मामले में अभियुक्त रहा है, अभियुक्त रामपाल की हत्या में वह अभियुक्त है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान कभी हम लोगों से दहेज की मांग किये थे ना कभी उसकी बहन अनिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किये थे। यह भी कहना गलत है कि उसकी बहन की मृत्यु खाना बनाते समय किचन में जलने से हुयी थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-3 के रूप में **सुनीता यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि-

अनिता (मृतका) उसकी बड़ी बहन थी। अनिता की शादी तेजबहादुर पुत्र श्यामा यादव निवासी ग्राम-मुण्डेरा बाबू थाना-बड़हलगंज जनपद- गोरखपुर के साथ शादी हुयी थी। आज से लगभग 21 वर्ष, दिनांक-26.05.2003 को हुयी थी, शादी के तीन साल बाद गौना हुआ था, गौने में बिदायी हुयी थी। उसकी बहन गौने में विदा होकर अपने ससुराल गयी थी और कुछ दिन अपने ससुराल में रहने के बाद बिदा होकर अपने मायके आयी थी। उसकी बहन जब मायके आयी थी, तब उससे यह बात बताई थी कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, उसकी सास-कैलाशी, सास भानमती, सगी सास रेश्मा, उसके भसुर रामपाल, भसुर बृजलाल, ससुर तुफानी, ससुर निर्मल और पति-तेजबहादुर व ननद आरती, उपरोक्त सभी लोग प्रताड़ित करते हैं। उपरोक्त सभी लोग बोलते थे कि मोटरसाईकिल, रंगीन टी०वी0, फ्रीज, कूलर आदि सामानों की मांग करते थे और उसके लिए उसको मारते-पीटते थे। फोन पर भी उससे बताती थी और आने पर भी हम लोगों से बताई। उसके घर वाले अनीता के ससुराल में जाकर उपरोक्त लोगो को समझाया कि उनके पास व्यवस्था होने पर उपरोक्त सामान जो आपलोगों की मांग है वो दे देंगे। उपरोक्त बातें उसके घर वालों के आश्वासन देने के बाद उसकी बहन अनिता की विदाई उसके ससुराल बाले करा कर अपने घर ले गए। विदा होकर जब उसकी बहन अनिता ससुराल गयी उसके एक हफ्ते बाद अनिता के घर वाले उसको जला कर मार दिए, पति तेजबहादुर, ननद आरती, सास-रेशमा, सास-भानमती, ससुर निर्मल, ससुर तुफानी, भसुर रामपाल व भसुर बृजलाल आदि लोग उसकी बहन के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला कर उसे मार दिये। उसके भाई ने उसको फोन से उपरोक्त बातें बतायी। इस घटना के बाद उसकी बहन अनिता को वह लोग दवा-इलाज के लिए लेकर घर से अस्पताल के लिए निकले थे, वह अस्पताल पहुंचे थे या नहीं उसे नहीं पता है। उसकी बहन मृतका अनिता बड़हलगंज तक जिन्दा थी इसकी जानकारी उसे है उसकी मृत्यु कहाँ हुयी इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस घटना के बावत पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान लिया गया था जिनको उसने घटना से सम्बंधित सारी बातें बतायी थी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

वह कुल चार बहन थी जिसमें एक का देहान्त हो गया सबसे बड़ी बहन का नाम तारा, दूसरी बहन का नाम बिन्दु, तीसरी मृतका अनिता थी और सबसे छोटी वह है। बिन्दु की शादी की तारीख उसे नहीं मालुम है क्योंकि वह बहुत छोटी थी, तारा की शादी की तारीख भी उसे नहीं मालुम क्योंकि उस समय वह पैदा ही नहीं हुयी थी। उसकी शादी 23.05.2005 को हुयी थी। अनिता के ससुराल वह कभी नहीं गयी। आरती की शादी कहां हुयी है वह नहीं जानती, आरती से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुयी है। उसने अपने न्यायालय में दिये मुख्य बयान में जिन अभियुक्तों का नाम दिया है उनको वह पहले से जानती पहचानती नहीं है और ना ही वह पहले कभी मिली है। जब यह घटना घटित हुयी उस समय वह नौकरी में नहीं थी, घटना के समय उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी शादी अनिता के शादी के दो वर्ष बाद हुयी थी, जब यह घटना हुयी थी

उस समय वह अपने मायके में ही थी। अनिता जब शादी के बाद गौने में विदा होकर अपने ससुराल गयी तो वह 15 दिन अपने ससुराल में रही और विदा होकर अपने मायके आयी तो करीब दो सालअपने मायके में रही। वह वर्ष 2008 में दोबारा अपने ससुराल गयी। उसकी विदाई 01.05.2008 को हुयी थी उसके बाद अनिता अपने ससुराल गयी। जब वह अपने ससुराल गौने में बिदा होकर गयी उसके बाद उसकी अनिता से मुलाकात नहीं हुयी। वह उसके सामने ससुराल नहीं गयी थी, कब गयी वह नहीं जानती। उसकी केवल अनिता से फोन पर बात होती थी जब वह अपने ससुराल चली गयी। अनिता का फोन नं० उसे इस समय याद नहीं। घटना के एक दिन पहले अनिता से उसकी फोन से बात हुयी थी। उसने मुख्य बयान में जिन लोगों का नाम लिया है वह अपनी बहन के बताने के आधार पर लिया है। सी.ओ. साहब को उसने यह सही बयान दिया था कि ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताडित करते थे उसने विवेचक से किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। उसका ब्यान सी०ओ० साहब ने उसके मायके में लिया था कब लिया था तारिख, दिन व महिना याद नहीं। यह कहना गलत है कि उसने मुख्य बयान में सिखाने-पढ़ाने से शादी की तारिख 26.05.2003 लिखायी जबकि अनिता की शादी दिनांक- 29.05.2001 को हुयी थी। यह कहना गलत है कि उसकी बहन ने कभी अपने ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ना तथा दहेज वाली बात उसे नहीं बतायी थी। यह बात सही है कि सी.ओ. साहब को जो उसने बयान दिया था उसमें अनिता से घटना के एक दिन पहले बातचीत होना नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि वह सिखाने-पढ़ाने से न्यायालय में झूठा बयान दी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-4 के रूप में **चन्द्रशेखर यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि-

घटना हुए आज से लगभग 16 वर्ष हुआ है। मृतक अनीता देवी उसके मामा रामकिशुन यादव की लड़की थी। उसके मामा ग्राम छपिया उमराव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं। मृतका अनिता देवी उसकी ममेरी बहन थी उसकी शादी तेजबहादुर यादव निवासी गांव भुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के साथ हुई थी। अनीता के गौना के बाद दहेज के लिए उसके ससुराल वालो के घर दहेज को लेकर पंचायत हुई थी उस पंचायत में वह भी गया था। पंचायत में यह बात आयी कि अनिता को दहेज के लिए क्यों परेशान किया जा रहा है तो अनिता के ससुर ने कहा कि लड़के परेशान कर रहे है लड़के तेजबहादुर परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमलोग अनिता के ससुराल से अपने-अपने घर चले गये। उसे फोन के द्वारा यह सूचना मिली की उसके मामा की लड़की अनिता देवी जल गयी है और लोग बड़हलगंज ले जा रहे हैं। सूचना पाकर वह अपने घर से निकला और बड़हलगंज के लिए जा रहे थे उसने रास्ते में तरैना पुल पर देखा कि तेजबहादुर टाटा सूमो में रामपाल अनिता को लेकर गोरखपुर की तरफ आ रहे थे। तरैना पुल पर हाथ देकर रोका तो गाड़ी रुकी वह अपनी गाड़ी से उतरकर टाटा सूमो के पास गया। उसने

रामपाल से पूछा कि यह क्या हो गया कैसे हो गया तब उसकी बहन अनिता ने चिल्लाकर बताया तब उसने फाटक खोला बीच वाला उसमे उसकी बहन अनिता लेटी हुई थी। तो उसने पूछा कि बहन यह कैसे हो गया। तो वह बताने लगी कि उसके सास, ससुर, उसके पति, उसकी ननद लोग मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिए। उसके बाद चीखकर कहने लगी की भईया मुझे बचा लो उसके बाद वह रामपाल से पूछे कि यह क्या कर दिये उन्होंने कहा कि बाबू लड़के बहुत भारी गलती कर दिए है। उस गाड़ी मे रामपाल, उनकी बहन आरती उनकी पत्नी भी थी। उसने कहा कि जल्दी लेकर चलिए गोरखपुर तब रामपाल की गाड़ी गोरखपुर के लिए आगे बढ़ गयी और वह भी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे तब तक उसके मामा का लड़का वीरबहादुर भी पीछे से आ गया। उन्होंने कहा कि जल्दी से चलिए गोरखपुर। वहाँ से साथ-साथ पीछे-पीछे सदर अस्पताल गोरखपुर आए यहाँ डाक्टर ने चेक किया तो अनिता को मृतक घोषित कर दिया। शव को Mortuary house में रखवा दिया गया। घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

वह हाई स्कूल तक पढ़ा है। वह एक स्कूल मजूरी में है वहा से पढ़ा है। अनिता की शादी वर्ष 2002 में हुयी थी। आज से लगभग 23 वर्ष पहले हुयी थी। उसके गांव से उसके मामा रामकिशुन का गांव 15 किमी पूरब दिशा में है। यह शादी की बातचीत उसके मामा ने किया, लेन-देन उन्होंने ही तय किया होगा, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। वह कक्षा-8 तक पढ़ा है, उसके पिता-बालकिशुन जीवित हैं, उसके पिता तीन भाई और हमलोग दो भाई हैं। अनिता की शादी में उसका पूरा परिवार गया था। तेजबहादुर के पिता का नाम वह नहीं बता सकता लेकिन यह सुना है कि वह बैंकांक में रहते हैं, उसने सुना है कि तेजबहादुर एकाक बार बैंकांक गए हैं यह कब गए हैं वह नहीं जानता। वह तेजबहादुर के घर गया है उनके पास एक ट्रैक्टर, एक टाटा सोमो गाड़ी है, टाटा सोमो कितने की आती है वह नहीं बता सकता लेकिन महंगी गाडी है। जब शादी तय हो रही थी तब वह इनके घर गया था तब उसने इनके घर पर टाटा सोमो ट्रैक्टर वगैरह देखा था। तेजबहादुर के घर का निकाश पूरब है, तेजबहादुर का 6 मंजिला पक्का मकान है। उसे नहीं मालूम कि अनिता मकान के किस कमरे में रहती थी। वह केवल एक बार शादी तय होते समय तेजबहादुर के घर गया था और शादी के बाद एक-बार पंचायत के समय गया था। शादी की बातचीत किस महिने में हुयी वह नहीं बता सकता। तिलक कब चढ़ा था वह नहीं बता सकता है, लेकिन तिलक चढ़ा था। तिलक शादी विदाई वगैरह में कोई विवाद नहीं हुआ था। सब सकुशल सम्पन्न हुआ था। अनिता की विदाई कब हुई थी वह नहीं बता सकता। गौने में हुयी थी विदाई के बाद वह अनिता के घर कभी नहीं गया था। पंचायत कब हुयी थी वर्ष दिनांक और महिना वह नहीं बता सकता। वह घर पर था तब उसे फोन आया किसका फोन आया उसे इस समय याद नहीं है दिन के लगभग 10 बजे फोन आया कि मामा की लड़की जल गयी है और लोग गोरखपुर लेकर जा रहे है तो वह अपने घर से बड़हलगंज के लिए गया, क्योंकि

फोन करने वाले ने बताया कि लोग बड़हलगंज से गोरखपुर के लिए निकल रहे है। उसके मामा के वहाँ से कोई फोन नहीं आया था। बड़हलगंज उसके घर से दक्षिण 8किमी की दूरी में तरैना पुल पर रामपाल की टाटा सूमो से मुलाकात हुई। वह अपनी गाड़ी अल्टो चला रहा था, अकेले था। रामपाल बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे और वह गोरखपुर से बडहलगंज की तरफ जा रहा था तभी तरैना पुल पर रामपाल से मुलाकात हुई। उसके घर से रामपाल का घर 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है। उस दिन वह रामपाल के घर नहीं गया था। मृतका अनिता के ससुराल भुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज में है। सी.ओ. साहब ने उसका बयान ने घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद लिये थे और उसका बयान वे स्वयं लेने मेरे घर आये थे। वह कभी स्वयं सी.ओ. साहब के पास बयान देने नहीं गया था। वह इस मुकदमे में गवाह कैसे बना वह नहीं जानता। घटना की सूचना लालबहादुर ने उसे नहीं दिया था। उसने सी.ओ. साहब को यह बयान नहीं दिया था कि "उसे टेलीफोन से इस घटना की सूचना उसके मामा के लड़के लालबहादुर ने बताया तो वह अनिता के घर ग्राम मुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज पहुंचा तो पता चला कि अनिता को जली हुई हालत में ईलाज हेतु सदर अस्पताल गोरखपुर गाड़ी से ले गए हैं। वह अनिता के घर से गोरखपुर के लिए नही चला था। ऐसा नहीं है कि उसने सी.ओ. साहब को अनिता के साथ जाने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया हो। उसकी मुलाकात अनिता से तरैना पुल के पास हुई थी। यदि वह अपने घर से गोरखपुर की तरफ जाए तो रास्ते में तरैना पुल नहीं पड़ेगा। जब उसकी मुलाकात अनिता से हुई तो उस समय साढ़े ग्यारह बजा था। गाड़ी रामपाल चला रहे थे। उसने गाड़ी हाथ देकर रोका तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया। वह अपनी बहन को देखने के लिए गाड़ी रोका था। हमलोग, गाड़ी 10-15 मिनट तक रुकी हुई थी। उसने गाड़ी का फाटक खोला रामपाल की गाडी का। अनिता ने बताया कि उसके सास-ससुर, पति और जेठानी ने उसे जला दिया है। उसने सी.ओ. साहब को यह बयान नहीं दिया था, अनिता ने उसे बताया कि उसके सास-ससुर, पति और जेठानी ने उसे जला दिया है। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उसने उपरोक्त बातें सी.ओ.साहब को बताई थी अगर उन्होंने न लिखी हो तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता। उसने सी.ओ. साहब को यह बयान नही दिया था कि अनिता ने उसे बताया कि उसके ससुराल वालो ने उसे जला दिया था बल्कि उसने नाम बताया था। गवाह को उसका बयान जो उसने सी.ओ. साहब को दिया था पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने सी.ओ. साहब को बताया था, क्यों नहीं लिखा वह नहीं बता सकता। उसने सी.ओ. साहब को बताया था कि उसकी मुलाकात अनिता से तरैना पुल पर हुई थी। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० पढकर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने बताया था सी.ओ.साहब को क्यों नहीं लिखा वह नहीं बता सकता। इन मुकदमें में किसको-किसको गवाह बनाया गया था उसे नहीं मालूम पर इन मुकदमे के वादी मुकदमा लालबहादुर है। यह कहना गलत है कि वादी के रिश्तेदार होने के नाते वह झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत हो कि मृतका से घटना के दिन उसकी मुलाकात नहीं हुई थी कोई बातचीत नही हुई थी। यह बात सही है कि उसने सी.ओ. साहब को कि अनिता के ससुर "अनिता

के ससुर ने कहा कि लड़के परेशान कर रहे है लड़के तेज बहादुर परेशान कर रहे है, बातें सी.ओ. साहब को नहीं बताई थी, बल्कि पहली बार न्यायालय में सीखाने पढ़ाने से बताया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-5 के रूप में **रामप्यारे गौतम** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 07.08.2008 को वह थाना बड़हलगंज में हेड मोहर्रिर के पद पर नियुक्त था उस दिन वह कार्यलेख पर था। वादी लालबहादुर यादव पुत्र रामकिशुन यादव ग्राम-छपिया उमराव थाना बड़हलगंज, गोरखपुर के द्वारा टाईप शुदा तहरीर वादी द्वारा हस्ताक्षरित है, प्रभारी के लिखित आदेश पर एफ०आई०आर० चिक कायम कराया गया था, एफ०आई०आर० चिक के पृष्ठ भाग पर मु०अ०सं०- 909/08, धारा- 498A, 304B I.P.C व ¾ D.P. Act पंजीकृत है। तहरीर के पृष्ठ भाग पर उसके हस्ताक्षर है जिसका वह पहचान करता है जिस पर प्रदर्श क-1 पड़ा है। पत्रावली में कायमी जी०डी० उपलब्ध नहीं है। उसके साथ तैनात रहे का० मु० रामकुंजन तिवारी तैनात रहे है उनके द्वारा एफ०आई०आर० लिखा गया जो मु०अ०सं०- 909/08, धारा-,498A, 304B I.P.C व ¾ D.P. Act थाना-,बड़हलगंज वादी लाल बहादुर यादव पुत्र श्री किशुन यादव निवासी- छपिया उमराव, थाना-बड़हलगंज जनपद-गोरखपुर के तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण तेजबहादुर वगैरह के खिलाफ चिक नं०- 141/08 दिनांकित 07.08.2008 समय 14:45 पर एफ०आई०आर० लिखी गयी थी वह उसके साथ तैनात रहे हैं उनको वह लिखते-पढ़ते देखा था एफ०आई०आर० उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर **प्रदर्श क-2** डाला गया, उनके लेख व हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है। जो शामिल मिसिल कागज सं० 4क/1 व 4क/2 है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। थाने की आख्या के अनुसार मूल जी०डी० नष्ट हो चुकी है, थाने की आख्या कागज सं०- 183 ख है। जी०डी० उसके द्वारा कायम की गयी थी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

इस मुकदमा के पूर्व तथा पश्चात् किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ वह नहीं बता सकता है। प्रदर्श क-2 को देखकर साक्षी ने कहा यह उसके लेख में नहीं है तथा इस पर उसका हस्ताक्षर भी नहीं है। वह धारा 157 दं०प्र०सं० का प्रावधान भली-भांति पढ़ा है जिसमें यह प्रावधान है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी सक्षम न्यायालय में भेजा जाना आवश्यक है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति न्यायालय सी०जे०एम० के यहां 12.08.2002 को प्राप्त करायी गयी थी धारा 57 दं०प्र०सं० का अनुपालन नहीं किया गया था। एफ०आई०आर० दर्ज होने के पांच दिन बाद सी०जे०एम० के यहां प्राप्त करायी गयी है, क्योंकि एफ०आई०आर० की कॉपी क्षेत्राधिकारी के यहां भेजी जाती है। किस प्रावधान में भेजी जाती है

वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि हम लोगों के राय मशविरे से एण्टीटाईम रिपोर्ट दर्ज की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-6 के रूप में **अजय कुमार त्रिपाठी** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 06.08.2008 को वह नायब तहसीलदार, गोरखपुर के पद पर तैनात था। स्थानीय पुलिस द्वारा सी0यू0जी0नंबर पर सूचना दिये जाने के पश्चात जिला अस्पताल मर्चरी हाउस जाकर जहां पूर्व से एस0आई0 मनोज कुमार पटेल आरक्षियों के साथ पंचायतनामें में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक प्रपत्रों को लेकर मौजूद थे। उसके द्वारा पंचाग की नियुक्त करते हुए वापरदा मृतका श्रीमती अनीता के शव का निरीक्षण किया गया। मृतका अनीता पत्नी तेज बहादुर निवासी मुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज के शव को निरीक्षण एवं पंचागों द्वारा शव का पृथक पृथक निरीक्षण कर उनकी राय जानी गयी। सभी पंचाग द्वारा यह राय रखी गयी कि मृतका अनीता की मृत्यु जलने के कारण हुई है। लेकिन मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए शव को मय सीलमोहर करके अंततः परीक्षण हेतु आरक्षी संग्राम सिहं व मुनफ अंसारी को पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही समय 13 बजे प्रारंभ कर दिनांक 06.08.2008 को 15.00 बजे समाप्त की गयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके द्वारा बोल बोलकर एस0आई0 मनोज कुमार पटेल से लिखवाया गया था। पंचायतनामा पर पंचो का हस्ताक्षर उसके समक्ष करवाया गया था। शामिल मिसिल पत्रावली कागज संख्या- 11क/1 व 11क/2 पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पहचान करता है। जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। शामिल मिसिल कागज संख्या- 9क/1 फोटोनाश, पुलिस प्रपत्र संख्या-13 कागज संख्या- 10क/1, सी0एम0ओ0 चिट्ठी 13क/9, आर0आई0चिट्ठी 13क/1 पर उसके हस्ताक्षर है। जिसकी वह पहचान करता है। जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-6** व **प्रदर्श क-7** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

मृतका के शरीर पर जलने के अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं थी। राय पंचागों ने किसी भी प्रकार का प्रताड़ना के संबंध में उसके समक्ष कोई बात नहीं बतायी। राय पंचाग ने जलने के कारण मृत्यु का कारण बताया था। पंचायतनामे की सूचना पंचायतनामें का कार्यवाही के लिए सी0यू0जी0 की सूचना पर वह पहुंचा था।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-7 के रूप में **सदाकत अली** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

कथित घटना के दिनों क्षेत्राधिकारी बांसगांव जनूपद गोरखपुर में नियुक्त था। मु०अ०सं०-909/08, धारा-498A, 304B I.P.C व ¾ D.P. Act थाना-

बड़हलगंज जनपद गोरखपुर तेज बहादुर आदि के विरुद्ध पंजीकृत होकर उस क्षेत्राधिकारी को विवेचना हेतू सुपुर्द हुआ। नकल चिक व नकल रपट प्राप्त होने के उपरान्त विवेचना में मामूर हुआ। दिनांक 08.08.2008 को पर्चा नम्बर-01 किता किया गया है। नकल रपट बयान वादी लालबहादुर यादव व घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया जो शामित मिसिल पत्रावली कागज सं०- 6क है जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर **प्रदर्श क-8** डाला गया। पर्चा नम्बर- 2 दिनांक 14/8/2008 को किता किया गया है जिसमें पंचायतनामा की कार्यवाही का अंकन किया गया है बयान गवाह पंचाग श्री कन्हैया प्रजापति का बयान अंकित किया गया है। पर्चा नम्बर-3 दिनांक 20.08.2008 को किता किया गया है जिसमें अभिक्त तेजबहादुर का बयान अंकित है। पर्चा न०- 4 दिनांक 21.08.2008 को किता किया गया है, बयान पंचायतनामा श्री गोपाल यादव, श्रीराम यादव, वंशीधर यादव व बयान ग्राम वासी रामअवध, गुलाब, संजय, का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०- 5 दिनांक 22.08.2008 किता किया गया बयान ग्राम वासी रामानन्द का बयान अंकित है। पर्चा नं०- 06 दिनांक 23.08.2008 को किता किया गया है बयान मृतका के पिता रामकिशुन, मृतका की माँ श्रीमती कवलपति पत्नी रामकिशुन का बयान अंकित है। पर्चा नं०-7 दिनांक 24.08.2008 को किता किया गया है बयान मृतका का भाई वीर बहादूर व चन्द्रशेखर यादव अंकित किया गया। पर्चा नं०- 8, दिनांक 26.08.2008 को किता किया गया है, बयान रिस्तेदार श्रीरामधनी यादव, नरायन यादव, बयान रिस्तेदार जयगोपाल यादव, बयान रिस्तेदार रामनयन यादव, बयान रिस्तेदार रामानन्द, बयान चश्मदीत रामशकल यादव पुत्र शिवचन्द ग्राम-खोहियापट्टी थाना-बड़हलगंज का बयान अंकित किया। पर्चा न०9, दिनांक 09.09.2008 को किता किया गया, बयान ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र यादव, बयान पंडित कृष्णमोहन पाठक, बयान नाई मंगरु बयान मृतका की भाभी श्रीमती रीमा, बयान मृतका की भाभी श्रीमती अनिता, बयान मृतका की बहन श्रीमती तारा व श्रीमती बिन्दू, बयान मृतका की बहन सुनिता यादव का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं0-10, दिनांक 12.09.2008 को किता किया गया, बयान डाक्टर पी०एम०कर्ता श्री ए० के० मल्ल जिला चिकित्सालय गोरखपुर व बयान पी०एम०कर्ता डा० दिनेश कु०, बयान S.I. पंचायतनामा कर्ता मनोज कुमार पटेल, बयान मजिस्ट्रेट पंचायतनामा श्री अजय कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सदर गोरखपुर, बयान F.I.R.लेखक रामकुंजन तिवारी, बयान लेखक कायमी मुकदमा रामप्यारे गौतम का बयान अंकित किया। पर्चा नं०- 11 दिनांक 15.09.2008 को किता किया गया है, अवलोकन रपट गिरफ्तारी अभियुक्ता तिमती रेशमा देवी पत्नी श्यामा यादव का अंकन किया। पर्चा नं०- 12, दिनांक 16.09.2008 को किता किया गया है, बयान प्रिन्टींग प्रेस मालिक श्री अभय शंकर ओझा का बयान अंकित किया गया जिसमें तमामी तफ्तीश गोपनीय जांच बयान वादी, ग्राम वासी तथा रिस्तेदार, निरीक्षण घटना स्थल से अभियुक्तगण निर्मल पुत्र बृजलाल, रामपाल पुत्र तूफानी, भानमती पुत्र तूफानी, कैलाशी पुत्र निर्मल, कुमारी आरती पुत्री श्यामा निवासीगण ग्राम मुण्डेरा बाबू थाना-बहलगंज का नामजदगी गलत पायी गयी तथा घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया तथा तमामी विवेचना

गोपनीय जांच बयान वादी आदि से 498A, 304B I.P.C व ¾ D.P. Act का अपराध होना नहीं पाया गया। मात्र धारा-306, का अपराध होना पाया गया। तमामी विवेचना गोपनीय जांच बयान वादी निरीक्षण घटना स्थल बयान ग्राम वासी, बयान रिस्तेदार, अवलोकन पी०एम० रिपोर्ट, बयान डाक्टर आदि से अभियुक्तगण श्री तेज बहादुर यादव पुत्र श्यामा यादव, व श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्यामा यादव निवासीगण ग्राम मुण्डेरा बाबू थाना- बड़हलगंज, गोरखपुर के विरुद्ध, धारा- 306 I.P.C. का अपराध बखूबी साबित है। अभियुक्तगण तेजबहादुर यादव पुत्र श्यामा यादव व श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्यामा यादव निवासी ग्राम-मुण्डेरा बाबू थाना-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल मिसिल कागज सं0-3क/1 है। जिसे साक्षी ने देखकर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, व अपने लेख को भी पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क-9** डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

विवेचना के दौरान उसे वादी के परिवार वालो द्वारा शादी का कार्य दिया गया था, जिसके अनुसार मृतका अनीता की मृत्यु सात साल के बाद होना निश्चित हुआ था। इस तरह अपराध अन्तर्गत धारा-304 भा०दं०सं० को तरमीम करके 306 IPC में विवेचना प्रारम्भ की गई। उसने वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था और नक्शा नजरी तैयार किया था। वादी ने घटना स्थल के रूप में जो कमरा दिखाया था, उसमें जलने का कोई निशान नहीं मिला था। बादी ने जो मकान दिखाया था, वो काफी बड़ा मकान था, उसमें कई कमरे थे लेकिन उसने उसे न तो किचन दिखाया और न ही उसने नक्शा नजरी में किचन दिखाया। उसने विवेचना के दौरान मुंडेरा बाबू थाना बड़हलगंज के निवासी रामअवध का बयान लिया था, इनके जरिये यह मालुम हुआ कि तेज बहादुर के पिता विदेश में रहते हैं, बैंकाक में रहते हैं तथा तेज बहादुर भी बैंकाक में रहते थे, घर पर उसकी पत्नी अनीता व माँ रेशमा रहती है। यह भी उसे जानकारी हुई कि शादी के बाद तेज बहादुर बैंकाक से घर जल्दी-जल्दी आता था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। उनके घर की स्थिति अच्छी थी। इस गवाह ने उसे यह भी बताया था तेज बहादुर अपने मां-बाप का इकलौता वारिस है तथा अनीता घर की इकलौती बहू होने के नाते घर का पूरा ख्याल रखती थी। इस गवाह के जरिये यह पता चला कि तेज वहादुर के घर पर एक सी०डी० व टेप था, जिसे एक दिन पहले सी०डी० देखने के लिए गांव का ही रामसकल मांग कर ले गया था, जिसके कारण विवाद हुआ था और अनीता नाराज हो गई। इस गवाह ने यह बताया था कि तेज बहादुर व उसका परिवार पैसे वाले हैं, कोई कमी नहीं है, दहेज मांगने का कोई सवाल नहीं होता। उसने विवेचना के दौरान गुलाव पुत्र मातिवर का बयान भी लिया था, यह भी घटनास्थल के जगल के मकान के निवासी है, इस गवाह ने बताया था कि वह भी शादी में बारात में गया था। इस गवाह ने भी यह बताया था कि तेज बहादुर बैंकाक में रहता था। शादी के बाद घर आता जाता था, उसके पिता बैंकाक में रहते थे, ये काफी सम्पन्न और पैसे वाले लोग है, कभी दहेज की मांग के कारण

किसी तरह का विवाद परिवार में नहीं था। इस गवाह ने यह बताया कि सी० डी० के लिए घर में विवाद हुआ था। उसने विवेचना के दौरान संजय पुत्र राम अवध का बयान लिया था, इस गवाह ने भी उपरोक्त दोनों बयान का समर्थन किया था। उसने पर्चा नं0-05 दिनांक 22.08.2008 किता किया जिसमें गवाह रामानन्द पुत्र विन्धेसरी का बयान लिया, इस गवाह ने यह बताया था कि तेज वहादुर व उनका परिवार काफी सम्पन्न परिवार है। तेज बहादुर अपने पिता का इकलौता वारिस है, किसी तरह की कोई दहेज की मांग नही की गई थी, उसने बयान दिया था कि यह लोग बहुत पैसे वाले हैं, दहेज मांगने का कोई सवाल नहीं होता। उसके पास आठ-नौ लोगो ने शपथ पत्र S.S.P. को प्राप्त कराया। जिनके नाम गुलाब पुत्र मातिवर संजय पुत्र मातिवर आदि लोगो ने दिया था, जिसको उसने तस्दीक किया तो शपथ पत्र देने वालो ने बताया कि उन्होंने शपथ पत्र दिया है। दिनांक 23.08.2000 के पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई साक्ष्य घटना के सम्बन्ध में उसे नही मिला था, दिनांक 23.08.2008 को मृतका के पिता रामकिशुन का बयान लिया। उसे विवेचना के दौरान यह साक्ष्य मिला कि जब मृतका जल गई तो उसके ससुराल वाले तुरंत उसे अपनी गाड़ी से दवा इलाज के लिए अस्पताल गये और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने कुल सात लोगो जिसमें विवाहित लड़किया भी थी, के ऊपर दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जलाने का आरोप लगाया था, लेकिन विवेचना से पांच लोगो को नामजदगी गलत पाई गई। दौरान विवेचना उसे घटना के दिन का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मृतका के आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। यह कहना गलत है कि उसने एक पक्षीय विवेचना किया और गलत आरोप पत्र प्रेषित किया। लाल बहादुर पी०डब्लू०-01 ने उसे बताया था कि घटना की सूचना उसे सुरेन्द्र यादव उर्फ बैरिस्टर यादव ने दिया था जो अभियुक्त के गांव के रहने वाले है। साक्षी पी०डब्लू०-01 ने अपने मोबाइल व उपरोक्त सुरेन्द्र यादव के मोबाइल का कॉल डिटेल उसको दौरान विवेचना नहीं दिया था, कोई कॉल डिटेल पत्रावली पर नहीं है। लाल बहादुर ने उसे सुरेन्द्र का मो०नं0 भी नही बताया था। पी०डब्लू०-01 ने चन्द्रशेखर पी०डब्लू०-04 से तरैना पुल पर अनीता से मुलाकात व अनीता ने चन्द्रशेखर से सारी बात बताया था, उसे नहीं बताया था। वह यह नहीं बता सकता कि रसोई घर भूतल पर है। ऊपरी तल पर रसोई घर नक्शा नजरी में नहीं दिखाया गया है। उसे ध्यान नहीं है। चन्द्रशेखर ने उसे यह बात कि घटना के 20 दिन पूर्व पंचायत करने के लिए तेज वहादुर(मुल्जिम) के घर गया था, जहां उसकी बहन से चन्द्रशेखर की मुलाकात हुई थी, नहीं बताया था। वीर वहादुर पी०डब्लू०-02 ने यह नहीं बताया था कि उसकी मुलाकात मृतका अनीता से रास्ते में हुई थी और जब उसने अपनी बहन अनीता से पूछा कि क्या हुआ तो बहन ने बताया कि भैया उसके पति, सास, ननद मिलकर मारपीट कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिये और दरवाजा बन्द कर लिये, बहन को लेकर हम लोग जिला अस्पताल आ रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पी०डब्लू०-02 वीर वहादुर ने घटना के 10 दिन पूर्व ससुराल जाने वाली बात उससे नहीं बताई थी तथा उसने यह भी नही बताया था कि उसकी बहन से TV, फ्रिज, कूलर, मोटर साईकिल की मांग कब की गई। पी०डब्लू०-02 वीर बहादुर ने यह भी नही बताया है कि गौना के 10 दिन बाद से

ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और सामान की मांग करने लगे। बीर बहादुर ने अपने बयान में मुझे यह नहीं बताया था कि बीर बहादुर के परिवार के किसी भी व्यक्ति ने गौने से घटना के बीच उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताडित करने की बात किसी पुलिस सहकारी को जानकारी नहीं दिया, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वीर बहादुर पी०डब्लू०-02 ने मुझे यह नहीं बताया था उसकी मुलाकात मृतका अनीता से 11.30 बजे दिन में तरैना पुल पर हुई थी। वीर बहादुर पी०डब्लू०-02 ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि उसकी मुलाकात अनीता से पिड़हनी के आगे कोहड़ा भावर ग्राम के सीवास के पास हुई थी, उस समय 11:15 बजा था। वीर वहादुर पी०डब्लू०-02 ने अपनी बहन अनीता को दिनांक 06.08.2008 को लाठी डंडा से मारकर, रस्सी से बांध देने की बात नही बताई थी तथा उसने यह भी नहीं बताया था कि अनीता से उसकी मुलाकात घटना के 10 दिन पहले उसके घर पर नही हुई थी, लेकिन 17-18 दिन पहले वे दोनों भाई अपने बहन के घर उक्त दहेज की समस्या हेतु समझाने गये थे। पी०डब्लू०-03 सुनीता ने उसे अपने बयान में दहेज प्रताड़ना हेतु किसी मुल्जिम का नाम नही बताया था। पी०डब्लू०-04 चन्द्रशेखर ने यह बताया था कि उसे टेलीफोन से इस घटना की सूचना उसके मामा के लड़के लाल बहादुर ने दिया तो वह मुंडेरा बाबू थाना-बड़हलगंज पहुंचा तो पता चला कि अनीता को जली हालत में इलाज हेतु सदर अस्पताल ले गये हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू०-8 के रूप में **डा० अजय कुमार मल्ल** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 06-08-2008 को वह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालन पार गोरखपुर में चिकित्सा अधिकारी / E.N.T. सर्जन के पद पर तैनात था। उक्त दिन मेरी ड्यूटी बी०आर० डी० मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमाटम हाउस में लगी थी। उस दिन मृतका अनीता पत्नी तेज बहादुर उम्र-35 वर्ष, निवासी-मुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज, गोरखपुर का शव मुझे शव विच्छेदन हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त शव S.H.O. कोतवाली गोरखपुर द्वारा सील अवस्था में मुझे प्राप्त हुआ था। उक्त शव कां० संग्राम सिंह-262, व कां0 मुनीब अंसारी 414, P.s. कोतवाली गोरखपुर द्वारा लाया गया था व उनके द्वारा शव का पहचान किया गया था। एक औसत कद-काठी का शरीर जिसके दोनो हाथ एवं दोनों पैरो में मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद था। मृतका का आंख-मुंह बन्द था और पूरे शरीर में सुपर फीशियल टू डीप जला हुआ था केवल पैर का तलवा छोड़कर और जगह जगह पर लालपन की लाइन (पूरे शरीर पर) मौजूद थी। उक्त बर्न इंजरी मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की है।

आन्तरिक परीक्षण- स्कल सामान्य था। मस्तिष्क की झिल्लिया तथा मस्तिष्क कनजस्टड था। कटोरी के आधार सामान्य था। वर्टिश सामान्य थी। मेरुरज्जु नहीं खोला गया। फेफड़े की झिल्ली व पसली सामान्य थी। फेफड़ा कन्जस्टड था, श्वास की नली तथा लेरिंग्स में कार्बन पार्टस भी पाये गये। दाहिना तथा बायां फेफड़ा कन्जस्टड पाया गया। हृदय का वजन 06 औंस पाया गया तथा वह खाली था। उदर की भित्तियां सामान्य पाई गई। पेरिटोरियम, वक्कल

कैविटी, खाने की नली सामान्य पाई गई। अमाशय में तरल पदार्थ एवं पेस्टी मैटेरियल पाया गया। छोटी आंत खाली पाई। बड़ी आंत में गैंस तथा मल पदार्थ पाया गया। यकृत का वजन 2 LB तथा पित्त की थैली आधी भरी पाई गई। पैनक्रियाज सामान्य था। प्लीहा का वजन 05 औंस पाया गया। दोनों गुर्दे का वजन 06 औंस पाया गया। मूत्राशय एवं जननांग सामान्य पाये गये।

मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 01 दिन पूर्व पाया गया। मृत्यु का कारण shock as result of Anti-mortem burn (मृत्यु पूर्व जलने के कारण) पाया गया। शव विच्छेदन सं०- 1287 व शामिल मिसिल कागज संख्या-12क/1 है जिसे साक्षी ने देखकर कहा कि उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने पुष्ट किया, जिस पर **प्रदर्श क-10** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

उसे पोस्टमार्टम हाउस पर पोस्टमार्टम के प्रपत्र मिला था। उसने दिनांक 06-08-2008 को समय 04:30 बजे शाम को पोस्टमार्टम किया था। उसने प्रदर्श क -10 में किसी कामाजात का जिक्र नहीं किया है जो उसे पोस्टमार्टम करते समय प्राप्त कराये गये थे। वह मेडिकल कालेज मार्चरी हाउस गया था और वह 2 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। पोस्टमार्टम हेतु ड्यूटी उसकी पहले से लगी थी। मृतका के शरीर का जब उसने पोस्टमार्टम किया तो मृतका के शरीर पर कोई कैरोसिन ऑयल की महक नहीं थी। जब उसने मृतका का पोस्टमटिम किया तो उसके आमाशय में तरल पदार्थ और Pasty मैटेरियल था। मृत्यु के 03:30-04 घण्टे पूर्व मृतका ने खाना खाया था। मृतका के सर के बाल जल गये थे। मृतका के शरीर पर line of Redness था यानी वो जीवित अवस्था में जली होगी। मैंने मृत्यु का समय पोस्टमार्टस से About One day अनुमानित किया है, About One day में 1 घंटे से 23-24 घंटे तक का समय आ सकता है। मृत्यु के बाद शरीर में अकड़न 24 घंटे मौजूद रहती है, इसी के आधार पर उसने मृत्यु का सम्भावित समय बताया था। मृत्यु के 2-3 घंटे बाद से शरीर में अकड़न की शुरुआत हो जाती है। मृतका की मृत्यु एक्सीडेंटल वर्निंग से भी होने की सम्भावना है।

बचाव पक्ष की ओर से डी०डब्लू०-1 के रूप में **कन्हैया प्रजापति** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

आज से 16 वर्ष पूर्व की घटना है। सुबह लगभग 10.00 बजे की घटना है। दिनांक 06.08.2008 को सुबह लगभग 10.00 -10.30 बजे की घटना है। उस समय वह अपने घर पर था। तेज बहादुर के घर से शोर-हल्ला की आवाजा सुनाई पड़ी तो वह दौड़कर वहां पहुँचा तो देखा कि तेज बहादुर की पत्नी के शरीर में दुर्घटना वश आग लग गयी थी। उनके घर के लोग तथा गांव के कुछ लोग उसे ऊपर कम्बल डालकर आग बुझा रहे थे। हम लोग उनके घर के टाटा सोमों गाड़ी में तेज बहादुर की पत्नी को लादकर अस्पताल के लिये निकले। उनके साथ तेज

बहादुर की मां, तेज बहादुर की एक भाभी, तथा रामपाल जो गाड़ी चला रहे थे और वह आगे बैठकर अस्पताल के लिए चल दिये। उनको गोरखपुर सदर अस्पताल ला रहे थे कि रास्ते में नौसड़ के आस-पास तेज बहादुर की भाभी ने कहा गाड़ी और तेज चलाइए इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हम लोग सदर अस्पताल 12.00-12.30 बजे पहुँचे थे। सदर अस्पताल में डाक्टर को दिखाया गया तो डाक्टर ने बताया कि यह मर चुकी है। तब रामपाल ने कुछ कागजी कार्यवाही किया था। रास्ते में उन लोगों से तेजबहादुर के ससुराल के लोगों से मुलाकात नहीं हुयी। मृतका का पंचायतनामा हुआ था जिसमें उसने भी अपना अंगूठा निशानी बनाया था। पंचायतनामा लगभग 01.00-01.30 बजे हुआ था। साक्षी को शामिल मिसिल पत्रावली कागज सं0-11क/1 ता 11क/2 जिस पर प्रदर्श क-3 पूर्व से पड़ा हुआ है को साक्षी को दिखाया गया। उसने अपने बनाये अंगूठा निशानी को तस्दीक किया और कहा कि ये उसका ही निशानी अंगूठा है। पंचायतनामें के समय उससे दरोगा जी ने मृतका के मृत्यु का कारण पूछा था तो उसने बताया कि खाना बनाते समय दुर्घटनावश कपड़े में आग लग गयी थी। जिसके कारण जलने से उनकी मृत्यु हो गयी। घटना के दिने तेज बहादुर घर पर नहीं थे वह किसी रिश्तेदारी में गये थे। वह सूचना पाकर सीधे सदर अस्पताल गोरखपुर पहुंचे थे। तेज बहादुर लगभग 01.00-01.30 बजे गोरखपुर पहुंचे थे। वह घटना के एक दिन पहले तेज बहादुर के घर शाम को गया था तो तेजबहादुर उस दिन नहीं थे तो साक्षी ने उनकी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने कहा कि तेज बहादुर किस रिश्तेदारी में गये हैं। तेज बहादुर के घर से उसका घर दो तीन लोगों के घर के बाद थोड़ी दूरी पर है। दरोगा जी ने उसका बयान तीन चार दिन बाद घर पर ही लिये थे।

अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

उसका नाम कन्हैया प्रजापति है। वह गारा मजदूरी करता है। दिनांक 06.08.2008 को सुबह 10 बजे वह अपने घर पर था। उसका घर अभियुक्त तेजबहादुर के घर से दो तीन घर बाद है। जब घटना घटी थी तो वह मौके पर गया था। देखा कि तेजबहादुर की पत्नी जल रही है। उनके घरवाले कम्बल आदि डालकर आग बुझा रहे थे। उसको सम्मन नहीं मिला था वह तेजबहादुर के बुलाने पर आज गवाही देने आया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त तेजबहादुर से मिल जाने के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह न्यायालय में जो बयान दे रहा है उस तरह की कोई घटना नहीं देखी थी।

बचाव पक्ष की ओर से डी०डब्लू०-2 के रूप में **केशव यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

यह घटना दिनांक 06.08.2024 में हुई थी। इस घटना के पहले उसकी तबियत खराब थी। उसे हार्ट की परेशानी है। उसकी तबियत जब खराब थी उसके कुछ दिन बाद उसने अपने बहू शोभा यादव पत्नी सुरेश यादव से कहा कि मुण्डेरा बाबू से तेजबहादुर को बुला दो, उसे उनकी बड़ी याद आ रही है। अभियुक्त तेजबहादुर के बड़े पिता निर्मल यादव की पुत्री शोभा यादव से उसके

बड़े पुत्र सुरेश यादव की शादी हुई है। दिनांक 05.08.2008 को शाम को 6-7 बजे तेजबहादुर उसे देखने उसके घर पर आया था। बरसात का सीजन होने के कारण उसने कहा कि रात भर रूक जाईये कल सवेरे चले जाईयेगा। रात को वह उसके घर पर रूके। सवेरे दूसरे दिन वह घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसने कहा कि खाना वगैरह खाकर जाईयेगा। सुबह 9-10 बजे के करीब तेजबहादुर खाना खाये। करीब 11 बजे किसी का फोन आया फिर वह घबराकर तुरंत निकल गये। शाम को उसकी बहू शोभा रोने लगी तो उसने अपने बहू से पुछबाया कि वह क्यों रो रही है तो वह बतायी कि तेजबहादुर की पत्नी खाना बनाते समय आग लग जो के कारण जल गयी है। उसके लड़के की शादी तेजबहादुर के शादी से पहले हुई थी। उनके घर पर वह नहीं गया था। वह बारात मं गया था। तेजबहादुर के घर वह 7-8 बार गया था। तेजबहादुर की शादी 29.05.2001 को हुई थी। उसके बाद वह उनके घर 4-5 बार गया था। उनके घर ट्रैक्टर ट्राली दो पुराना व पुराना टाटा सूमो व एक नया टाटा सूमो थी तथा कई मोटरसाईकिल है। शादी के पहले से तेजबहादुर के घर टी०वी०, फ्रिज, कूलर इत्यादि सामान था। तेजबहादुर के पिता तेजबहादुर की शादी के पहले से ही बैंकाक में रहते है। तेजबहादुर घर पर ट्रैक्टर ट्राली चलाते है और बैंकाक भी आते जाते है। उसके कुल तीन लड़के है। सबसे बड़ा लड़का सुरेश है, जिसकी शादी तेजबहादुर की चचेरी बहन से हुई है। दूसरा लड़का विमलेश यादव है, तीसरा लड़का इन्द्रेश यादव है। सुरेश यादव घटना के समय रायपुर में था तथा दो लड़के विमलेश व इन्द्रेश छोटे छोटे थे जो पढ़ रहे थे। उसके घर से अभियुक्त तेजबहादुर वका घर 20-22 किमी पूरब दिशा में कछार बेल्ट में है। घटना के 2-4 दिन बाद ही यह पता चल गया था कि यह लोग मुल्जिम बना दिये गये है।

अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

वह बहुत कम पढ़ा लिखा है। उसकी बहू शोभा यादव के पिता चार भाई है लेकिन वह उन लोगों का नाम नहीं जानता है। उसकी बहू शोभा के पिता के एक लड़के है जिनका नाम रजवंत यादव है तथा शोभा की छः बहने है। वह अन्य किसी लड़कियों का नाम नहीं जानता है। उन लोगों का कहां विवाह हुआ है यह भी वह नहीं जानता है। तेजबहादुर कितने भाई बहन है वह नहीं जानता। वह तेजबहादुर की पत्नी का नाम नहीं जानता है। तेजबहादुर की पत्नी के पिता का नाम रामकिशुन है। वह सचिव थे। कहां पर सचिव थे यह वह नहीं जानता है। तेजबहादुर की पत्नी कितने भाई बहन है वह नहीं जानता है। रामकिशुन काफी चर्चित व्यक्ति थे सचिव थे। तेजबहादुर की शादी में वह गया था। शादी में वर व्यवस्था खूब ठीक ठाक थी। वह रात में ही अपने घर पर चला आया था। लेनदेन के बारे में वहीं दोनों लोग जानते है। शोभा के भाई और तेजबहादुर दोनों से उसका आना जाना था। उसकी जो घटना के पहले तबियत खराब थी उसमें हार्ट की दवा वगैरह चली थी। छात्र संघ चौराहा पर डाक्टर अखिलेश कुमार चौधरी के वहां दवा चली थी। उसके साढू का लड़का मन्टू यादव दवा इलाज हेतु लेकर आया था। डा० अखिलेश कुमार चौधरी का पर्चा नहीं है। उसके समधी शोभा के पिता उसके तबियत खराब होने पर नहीं आये थे। उसकी बहू शोभा के पिता

चारों भाई अलग अलग रहते थे और अपने परिवार का कामधाम अलग अलग करते थे। शोभा को घटना के समय बच्चे नहीं थे। शोभा जिस मोबाइल नंबर से तेजबहादुर को बुलायी थी वह नंबर उसे मालूम नहीं है। उसकी पतोहू शोभा से उसकी बातचीत होती थी। वह अपनी पतोहू से रोते वक्त पूछा था कि क्यो रो रही हो तो उसके पूछने पर उसने नहीं बताया तब दूसरे से पूछवाया था। उसके घर में 10-11 पतोह है। उन्हीं सभी से पूछा था। उसी में से किसी ने आकर उसे बताया था। उसका नाम आज उसे याद नहीं है। 11 पतोह के पति का नाम क्रमशः जयनरायन, राजेश, रमेश, राकेश, राणाप्रताप, तेजप्रताप, कमलेश, मिथिलेश, कुछ उसमें मर गये है इसलिए उनका नाम क्या बताये। उसकी तबियत अभी भी खराब है। ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी घोडा तेजबहादुर अकेले चलाते है। छोटे बच्चे घर पर थे जिनकी उम्र 11-12 साल की थी। तेजबहादुर बहुत बढ़िया आदमी है। वह उसके रिश्तेदार है। वह चाहता है कि वह इस मुकदमे से बच जाये इसी से वह गवाही देने आया है। घटना के दिन समय पर उसके घर तेजबहादुर थे। इस बात को उसने किसी पुलिस वाले या उच्चाधिकारी को नहीं बताया था और न ही तेजबहादुर के घर घटना के सूचना पर गया था। आज खुद कहा कि तबियत खराब थी इसलिए नहीं गया था। वह तेजबहादुर की पत्नी की हत्या के मुकदमे में तेजबहादुर को जेल जाने के बारे में नहीं जानता है। वह तेजबहादुर के साथ गवाही हेतु आया है। यह कहना गलत है कि तेजबहादुर के अधिवक्ता के सिखाने पर उसने मुख्य बयान दिया है। उसने जो बयान दिया है वह सुने सुनाये आधार पर दिया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त उसके सगे रिश्तेदार होने के नाते उन्हें बचाने की गरज से घटना के दिन समय पर अपने घर तेजबहादुर को रहने की बात बता रहा है।

उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे साक्ष्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जो इस तथ्य को साबित करता हो कि दिनांक 06.08.2008 को समय करीब 11 बजे दिन में स्थान बहद ग्राम मुण्डेरा बाबू थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर के क्षेत्र में वादी मुकदमा की बहन अनीता देवी को अभियुक्त डांटा फटकारा व थप्पड मार दिया था, जिसके फलस्वरूप वह कमरे में जाकर शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर स्वयं आग लगा ली, तद्नुसार अभियुक्त ने अनीता देवी को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया ?

अभियोजन कथानक के समर्थन में घटना के समर्थक तथ्यगत साक्षियों के रूप में पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू०-4 को परीक्षित कराया गया है। साक्षीगण पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 मृतका के सगे भाई है और पी०डब्लू०-3 मृतका की बहन है, पी०डब्लू०-4 मृतका का फुफेरे भाई है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य तथ्यगत साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा मोटरसाईकिल, टी०वी० व फ्रिज की मांग करते हुए शादी के पांच साल बाद मृतका को प्रताड़ित किया जाने लगा। जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि अभियुक्त व उसके पिता बैंकाक में रहते हैं। अभियुक्त भी शादी के बाद से प्रायः बैंकाक से आता जाता रहा है। इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है

कि बैंकाक विदेश में स्थित है और वहां से आने जाने का किराया ही इतना होगा कि कितनी मोटरसाईकिल, फ्रिज व टी०वी० खरीदे जा सकते हो। ऐसी स्थिति में दहेज की मांग करते समय दी गयी प्रताड़ना का तर्क युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय नहीं है। वादी के पिता द्वारा रिश्ता तय किया गया था और अभियोजन साक्षियों द्वारा शादी विवाह विदायी में किसी प्रकार के दहेज की मांग व तत्संबंधी किसी मतभेद का कोई अभिकथन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतका को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किये जाने का तथ्य साबित होना नहीं पाया जाता। इस अभिमत की पुष्टि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना से भी होती है। वादी के पिता को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। दहेज की मांग करते हुए अभियुक्त के अन्य परिवारीजन के विरूद्ध किसी प्रताड़ना का साक्ष्य भी विवेचक द्वारा एकत्र नहीं किया जा सका। जिसके कारण दहेज की मांग व तत्संबंधी प्रताड़ना की पुष्टि न होने से दहेज हत्या व प्रताड़ना का विचार समाप्त हो गया। मात्र अभियुक्त जो कि मृतका का पति है, के विरूद्ध मामला विचाराधीन है और अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० का आरोप है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया।

धारा- 306 भा०दं०सं० के आरोप की पुष्टि हेतु धारा- 107 भा०दं०सं० के अंतर्गत परिभाषित दुष्प्रेरण को साबित किया जाना अभियोजन का दायित्व है। दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला- जब उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा तीसरा- उस बात के लिए किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

हस्तगत मामले में अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने अथवा किसी अन्य व्यक्ति व व्यक्तियों के साथ मृतका को आत्महत्या करने के षडयंत्र में शामिल होने अथवा कोई ऐसा कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करने की पुष्टि अपने सार्थक साक्ष्यों द्वारा करें।

हस्तगत मामले में साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा व पी०डब्लू०-2 वादी मुकदमा का भाई है। पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल, टी०वी०, फ्रिज की मांग करते हुए प्रताड़ित किये जाने व मिट्टी का तेल डालकर जला दिये जाने का अभिकथन किया गया और साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा मृतका को घायल अवस्था में अभियुक्त के परिवारीजन द्वारा ले जाये जाते समय पी०डब्लू०-4 के मिलने व मृतका द्वारा घायल अवस्था में पी०डब्लू०-4 से घटना के संबंध में मिट्टी का तेल डालकर जलाये जाने का अभिकथन किया गया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा पी०डब्लू०-4 से पहले मृतका को घायल अवस्था में मिलने की बात कही गयी। किन्तु पी०डब्लू०-2 द्वारा पी०डब्लू०-4 को मृतका द्वारा अपने साथ हुई घटना के संबंध में तथाकथित अभिकथन का वर्णन नहीं किया गया। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०-4 द्वारा विवेचक को भी मृतका द्वारा तथाकथित अभिकथन का वर्णन नहीं किया गया

क्योंकि विवेचक ने अपने बयान में पी०डब्लू०-4 के तत्संबंधी अभिकथन से इंकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका की मृत्योपरांत पंचनामा व शव परीक्षण के दूसरे दिन वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 द्वारा थाने पर लिखाया गया और उक्त सूचना में मृतका द्वारा तथाकथित बयान का वर्णन वादी द्वारा नहीं किया गया। पश्चातवर्ती न्यायालय के समक्ष बयान में उक्त महत्वपूर्ण बढोत्तरी की गयी, जिससे अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की मनोस्थिति स्पष्ट होती है कि अभियुक्त को येन केन प्रकारेण दोषी साबित किया जाए।

साक्षी पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 के घर से मृतका के ससुराल की दूरी तुलनात्मक साक्षी पी०डब्लू०-4 के घर से मृतका के घर की दूरी से काफी कम है। इसके बावजूद साक्षी पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-2 से पहले पी०डब्लू०-4 द्वारा मृतका को घायल अवस्था में अभियुक्त के परिवार वालों द्वारा ले जाये जाते समय रास्ते में मिलने और वार्ता करने का उल्लेख किया गया है। जबकि कथित स्थान तरैना पुल विपरीत दिशा में स्थित है। पी०डब्लू०-4 के कथन को अविश्वसनीय बनाता है। पी०डब्लू०-1 को उक्त घटना की सूचना दिन में 11 बजे मिलती है जबकि पी०डब्लू०-4 को 10 बजे फोन आने का उल्लेख किया गया है जो कि कथित घटना के पूर्व की सूचना का द्योतक है। ऐसी स्थिति में इस तर्क का कोई खंडन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया कि मृतका के साथ होने वाली घटना की सूचना वादी को न मिलकर वादी के फुफेरे भाई को पहले ही कैसे मिल गयी।

वादी की सूचना पर अभियुक्त व उसके परिवारीजन के विरूद्ध धारा- 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा- 3/4 D.P.Act के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरांत अभियुक्त व उसकी मां के विरूद्ध धारा- 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया (पी०डब्लू०-7)। जिसके लिए अभियुक्त का विचारण किया गया। दिनांक 06.08.2008 को हुई घटना में 13 बजे पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए 15 बजे समाप्त की गयी। विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया कि पी०डब्लू०-4 ने यह बताया था कि उसे टेलीफोन से घटना की सूचना लालबहादुर पी०डब्लू०-1 ने दिया था, जिससे स्पष्ट है कि पी०डब्लू०-1 को पहले सूचना मिली थी। स्पष्ट है कि पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-4 में से कोई एक असत्य भाषण कर रहा है या दोनों। परिणामतः दोनों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। साक्षी पी०डब्लू०-8 द्वारा शव परीक्षण में मृतका का आंख मुंह बंद व पूरे शरीर में सुपर फीशियल टू डीप जला हुआ पाया गया पैर का तलवा छोड़कर। उक्त बर्न इंजरी मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि मृतका के शरीर पर कोई केरोसीन आयल की महक नहीं थी। मृतका की मृत्यु एक्सीडेंटल बर्निंग से होने की संभावना है।

इस प्रकार समस्त साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका से दहेज की मांग को लेकर किया गया उत्पीड़न अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। मृत्युपूर्व तथाकथित मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाना भी साबित नहीं है। यहां तक कि घटनास्थल पर भी किसी प्रकार के जलने का तथ्य विवेचक द्वारा नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में उत्प्रेरण, षडयंत्र अथवा साशय सहायता

अथवा अवैध लोप अभियुक्त द्वारा मृतका को मृत्युपूर्व साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। ऐसे किसी दुष्प्रेरण की परिकल्पना नहीं की जा सकती कि अभियुक्त द्वारा अपने घर के जिम्मेदार महिला को अकारण जलने दिया जाए। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि खाना बनाते समय दुर्घटनावश आग लग जाने के कारण मृतका जल गयी जिसे उसके परिवारीजन द्वारा अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृतका की मृत्यु हो गयी। यद्यपि घटना के समय वादी पक्ष के किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होती और घटना की वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण बचाव पक्ष से अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में घटना दुर्घटनावश घटित हुई। इस संबंध में बचाव पक्ष के अभियुक्त के परिवारीजन द्वारा घायल अवस्था में उसके ईलाज हेतु अस्पताल ले जाया जाना अभियोजन साक्षियों द्वारा स्वीकार किया गया है और पंचनामे पर भी बचाव पक्ष के लोगों का हस्ताक्षर साबित करता है कि अभियुक्त व उसके परिवारीजन द्वारा सदाशयता से यथोचित व अपेक्षित कार्य किया गया। दुर्घटना में किसी व्यक्ति का वश नहीं होता और न ही किसी निर्दोष को किसी दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

मृणालकान्ती राव वर्मन बनाम त्रिपुरा राज्य, 1 (2010) डी.एम.सी. 767 (गोहाटी) में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि क्रूरता एवं दहेज की मांग साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण दोषसिद्धि असंधार्य होती है।

बछित्तर वीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. चंडीगढ़, 2010 क्रि०ला०ज० 4770 (पी० एण्ड एच०) में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि धारा- 306 भा०दं०सं० के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पीड़न युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93) ए.सी.सी.पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि "कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्यास को भी बनाये रखती है।"

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 463** में यह अवधारित किया गया कि" परिस्थितियां जिनसे अभियुक्तगण के दोषी होने का संकेत मिलता हो, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।"

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **जयहिन्द सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 10** में यह अवधारित किया कि "चूंकि अभियोजन पक्ष की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त तेज बहादुर यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा- 306 भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त तेज बहादुर यादव को उसके विरूद्ध अधिरोपित अपराध धारा- 306 भा०दं०सं० के आरोप के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार अभियुक्त तेज बहादुर यादव को धारा- 306 भा०दं०सं० के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त के स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 437A के प्रावधान के अनुपालन में मु० 20,000/- रूपये का स्वबंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

दिनांक 12.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 12.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.12 15:36:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court